सत्यमेव जयते

भारतीय संसद
राज्य सभा

राज्य सभा में समिति प्रणाली

भारतीय संसद, राज्य सभा
PARLIAMENT OF INDIA, RAJYA SABHA

"इस शृंखला की पुस्तकें"

1. सूचना-एक नज़र में
2. राज्य सभा - भारतीय राज व्यवस्था में इसका योगदान
3. विधि निर्माण प्रक्रिया
4. राज्य सभा में समिति प्रणाली
5. संसदीय विशेषाधिकार
6. सदस्य द्वारा करने और न करने योग्य बातें
7. सभा के नेता, विपक्ष के नेता और सचेतकों की भूमिका
8. कार्यपालिका - संसद के प्रति इसका उत्तरदायित्व
9. विधि निर्माताओं के लिए सूचना प्रबन्धन
10. प्रभावी विधायक कैसे बनें

4

भारतीय संसद
राज्य सभा

राज्य सभा में समिति प्रणाली

© राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली

वेबसाइट : http://parliamentofindia.nic.in
: http://rajyasabha.nic.in

ई-मेल : rsrlib@sansad.nic.in

आमुख

यह पुस्तिका राज्य सभा के नव-निर्वाचित सदस्यों की सुविधा के लिए प्रकाशित पुस्तिकाओं की शृंखला का एक भाग है। इसमें राज्य सभा में मौजूद समिति प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से संबंधित संक्षिप्त सूचना निहित हैं। सम्पूर्ण सूचना के लिए मूल स्रोतों का संदर्भ लिया जा सकता है।

इस पुस्तिका का प्रयोजन तत्काल संदर्भ के लिए एक सुविधाजनक मार्गदर्शिका उपलब्ध करवाना है। मैं आशा करता हूं कि यह पुस्तिका सदस्यों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

नई दिल्ली
जुलाई, 2020

देश दीपक वर्मा
महासचिव

विषय-सूची

पृष्ठ

1. प्रस्तावना 1-7
2. याचिका समिति 8-17
3. विशेषाधिकार समिति 18-19
4. आचार समिति 20-26
5. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति 27-32
6. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति 33-39
7. सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति 40-46
8. कार्य-मंत्रणा समिति 47-50
9. नियम समिति 51-56
10. आवास समिति 57-59
11. राज्य सभा के सदस्यों के लिए कम्प्यूटर उपस्करों का प्रावधान करने संबंधी समिति 60-64
12. एम.पी. लैड्स समिति 65-72
13. विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियां 73-76
14. उपाबंध-क 77-86
15. उपाबंध-ख 87-89
16. उपाबंध-ग 90-93
17. उपाबंध-घ 94-98

प्रस्तावना

संसदीय प्रणाली में संसदीय समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये समितियां विधायिका के कार्यकरण में सहायता प्रदान करती हैं तथा संसद इनका उपयोग कार्यपालिका पर हितकारी प्रभाव डालने और उसका पर्यवेक्षण करने के लिए करती हैं। इस प्रकार समितियां कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक अत्यंत उपयोगी संसदीय साधन हैं। संसद द्वारा किए जाने वाले कार्य में कई गुणा वृद्धि हो जाने से सभा में प्रत्येक मामले की सीमित समय के भीतर विस्तारपूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से जांच करना और उस पर विचार करना असंभव हो गया है। इसलिए, समिति प्रणाली की आवश्यकता पड़ी। समितियों का गठन कार्य की विशेष मदों, जिनके लिए विशेषज्ञता और विस्तृत विचारण की आवश्यकता होती है, से निपटने के लिए किया जाता है। समितियों का गठन छोटा होता है इसलिए, सभा के बजाय समितियों में इन मामलों पर अच्छी तरह विचार किया जाता है। इससे संसद को समितियों के समक्ष विचारणीय विषयों में बारीकी से नहीं जाना पड़ता है जिससे महत्वपूर्ण मुद्दों, नीतिगत मामलों तथा व्यापक सिद्धांतों पर चर्चा करने के लिए सभा के समय की बचत हो जाती है।

राज्य सभा में समितियों की एक सुसंगठित पद्धति विद्यमान है। इन समितियों (कुछ को छोड़कर) की नियुक्ति तथा कार्यकाल, इनका कार्य तथा कार्य-संचालन के मुख्य तरीके राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन विषयक नियमों तथा राज्य सभा के सभापति द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार विनियमित किये जाते हैं। इन समितियों का वर्गीकरण, (i) तदर्थ समितियों और (ii) स्थायी समितियों के रूप में किया जा सकता है।

(i) तदर्थ समितियां

तदर्थ समितियों का गठन समय-समय पर किन्हीं विशेष विषयों की जांच-पड़ताल करने के लिये सभा द्वारा या सभापति द्वारा या संयुक्त रूप से

दोनों सभाओं के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। राज्य सभा के प्रक्रिया संबंधी नियमों में इनका उल्लेख इस नाम से नहीं किया गया है। परन्तु ये समितियां एक विशेष प्रस्ताव के जरिए अस्तित्व में आती हैं और इन्हें सौंपे गये विषयों के बारे में सभा को सूचना देने के तुरन्त पश्चात् ये समितियां समाप्त हो जाती हैं। तदर्थ समितियां आमतौर पर विधेयकों के संबंध में गठित की गयी प्रवर समितियां तथा संयुक्त समितियां होती हैं। विधेयक के प्रभारी मंत्री या किसी सदस्य द्वारा उपस्थित किए गए विशिष्ट प्रस्ताव और उसे सदन द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर विधेयकों के संबंध में प्रवर/संयुक्त समितियों का गठन सदन द्वारा किया जाता है और समितियां समय-समय पर उन्हें संदर्भित विधेयकों पर विचार करती हैं और प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं। इन समितियों द्वारा जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, वह प्रक्रिया विषयक नियमों में दिए गया है। [विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों पर लागू होने वाले नियम उपाबंध-क में दिए गए हैं] विधेयकों संबंधी ऐसी प्रवर/संयुक्त समितियों के कुछ उदाहरण हैं लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 संबंधी प्रवर समिति, बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 संबंधी प्रवर समिति, निरसन और संशोधन विधेयक, 2014 संबंधी प्रवर समिति, संदाय और निपटान प्रणाली (संशोधन) विधेयक, 2014 संबंधी प्रवर समिति, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015 संबंधी प्रवर समिति, संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 संबंधी प्रवर समिति, भू-संपदा (विनियमन और विकास) विधेयक, 2013 संबंधी प्रवर समिति, कोयला खान (विशेष उपबंध) विधेयक, 2015 संबंधी प्रवर समिति, और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015, संबंधी संयुक्त समिति आदि।

तदर्थ समितियों का गठन विशिष्ट विषयों पर विचार करने और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए भी किया जाता है। इन समितियों का गठन समय-समय पर या तो सदन में उपस्थित किए गए और स्वीकार किए गए प्रस्तावों पर सदन द्वारा या सभापति द्वारा विशिष्ट विषयों की जांच करने और प्रतिवेदन

प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। राज्य सभा में गठित ऐसी समितियों के उदाहरण हैं: संविधान के अनुच्छेद 118(2) के तहत राज्य सभा के प्रक्रिया संबंधी प्रारूप नियमों को तैयार करने के लिए 1962 में गठित समिति; राज्य सभा के एक वर्तमान सदस्य के आचरण की जांच करने के लिए 1976 में नियुक्त समिति; निरंकारियों और अकालियों के बीच समझौता कराने के लिए 1983 में गठित दोनों सदनों के सदस्यों की समिति; बोफोर्स तोप सौदे और बैंक प्रतिभूति घोटाले की जांच करने के लिए क्रमश: 1988 और 1992 में नियुक्त संयुक्त संसदीय समितियां; रेलवे वैगनों की खरीद से संबंधित सभी पहलुओं की जांच करने के लिए सदन में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा की गई मांग पर सभापति द्वारा 1995 में गठित समिति; कपास उत्पादकों की समस्याओं और वक्फ बोर्डों के कार्यकरण के संबंध में 1996 में सभापति द्वारा गठित पृथक समितियाँ। संसद भवन में मूर्तियों और चित्रों, खानपान सेवाओं और सदस्यों के लिए सुविधाओं पर सलाह देने के लिए 1993 में लोक सभा अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति द्वारा एक दूसरे के परामर्श से गठित तीन अन्य समितियाँ भी तदर्थ समितियों की श्रेणी में आती हैं। इसी प्रकार, 15 दिसंबर 2009 को गठित संसद भवन परिसर के पारंपरिक स्वरूप के अनुरक्षण और विकास संबंधी संयुक्त संसदीय समिति इस श्रेणी में आती है।

(ii) स्थायी समितियां

दूसरी तरफ, स्थायी समितियों की दो श्रेणियां हैं। सभा की स्थायी समितियां और विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियां।

सभा की स्थायी समितियों को उनके कार्यों के आधार पर मोटे तौर पर निम्नलिखित चार भागों में बांटा जा सकता है:–

1. जांच-पड़ताल करने वाली समितियां:–
   (क) याचिका समिति
   (ख) विशेषाधिकार समिति
   (ग) आचार समिति

2. संवीक्षा करने वाली और नियंत्रण रखने वाली समितियां:–

   (क) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

   (ख) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

   (ग) सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति

3. सलाहकार समितियां:–

   (क) कार्य-मंत्रणा समिति

   (ख) नियम समिति

4. सभा के प्रबन्ध संबंधी समितियां:–

   (क) आवास समिति

   (ख) सामान्य प्रयोजन समिति

   (ग) राज्य सभा के सदस्यों के लिए कम्प्यूटरों का उपबंध संबंधी समिति

   (घ) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति

राज्य सभा के सदस्यों के लिए कम्प्यूटरों का उपबंध समिति और संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति को छोड़कर अन्य सभी स्थायी समितियों का कार्यकरण राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन विषयक नियमों द्वारा अभिशासित होता है।

1952 में, जब राज्य सभा का सर्वप्रथम गठन किया गया था, तब इसकी केवल चार समितियां थीं, अर्थात् नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति और आवास समिति। तत्पश्चात् पांच समितियां, अर्थात् कार्य मंत्रणा समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, सामान्य प्रयोजन समिति और सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति का गठन किया गया।

ऊपर उल्लिखित स्थायी समितियों के अतिरिक्त भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के संबंध में राज्य सभा के क्षेत्राधिकार में आठ विभाग-संबंधित स्थायी समितियां हैं:

1. वाणिज्य संबंधी समिति
2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति
3. गृह कार्य संबंधी समिति
4. मानव संसाधन विकास संबंधी समिति
5. उद्योग संबंधी समिति
6. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति
7. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी समिति
8. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति

राज्य सभा की स्थायी समितियों और विभाग-संबंधित स्थायी समितियों के अतिरिक्त लोक सभा की कुछ ऐसी समितियां हैं जिनमें राज्य सभा के सदस्यों को सहबद्ध किया गया है:

(क) लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन विषयक नियमों में दी गई समितियां:

1. लोक लेखा समिति
2. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
3. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति
4. महिला अधिकारिता समिति

(ख) दोनों सभाओं द्वारा पारित प्रस्तावों द्वारा गठित की गई संयुक्त समितियां:

1. रेल अभिसमय समिति
2. लाभ के पदों संबंधी समिति
3. अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण संबंधी समिति

(ग) विशेष प्रयोजनों से पीठासीन अधिकारियों द्वारा तदर्थ आधार पर नियुक्त समितियां, जैसे:

1. संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन संबंधी संयुक्त समिति
2. संसद भवन परिसर में राष्ट्रीय नेताओं और संसद्विदों के चित्रों/प्रतिमाओं की संस्थापना संबंधी संयुक्त संसदीय समिति
3. संसद भवन परिसर के पारस्परिक स्वरूप के अनुरक्षण और विकास संबंधी संयुक्त संसदीय समिति
4. संसद भवन परिसर में सुरक्षा मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति

(घ) विधि के उपबंधों के अधीन गठित दोनों सभाओं की समितियां, उदाहरणार्थ, संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त समिति जिसका गठन संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 9(1) के अधीन किया गया है।

(ङ) राज्य सभा के सभापति लोक सभा अध्यक्ष द्वारा गठित पुस्तकालय समिति के लिए भी राज्य सभा के तीन सदस्यों को नाम-निर्देशित करते हैं और इसका उल्लेख लोक सभा नियमों के परिशिष्ट-II में किया गया है।

लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, लाभ के पदों संबंधी समिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति और अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिये राज्य सभा के सदस्यों को सभा द्वारा चुना जाता है, जबकि अन्य संयुक्त समितियों के लिये सदस्यों को सभापति नाम-निर्देशित करते हैं। इन समितियों में लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों की संख्या का अनुपात क्रमशः 2:1 के अनुपात में होता है।

सामान्यतया इन समितियों का पुनर्गठन प्रतिवर्ष होता है लेकिन प्रत्येक समिति का कार्यकाल तब तक बना रहता है जब तक नई समिति नाम-निर्देशित नहीं की जाती है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की परिषदों तथा हज समिति आदि जैसे अन्य सांविधिक निकायों में भी राज्य सभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है। सदस्यों को या तो निर्वाचित किया जाता है या फिर माननीय सभापति द्वारा नाम-निर्देशित किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

सभा की स्थायी समितियों और राज्य सभा की विभाग-संबंधित स्थायी समितियों के कार्यकरण का संक्षिप्त वर्णन उत्तरवर्ती अध्यायों में किया गया है।

याचिका समिति

किसी प्रजातांत्रिक देश में प्रत्येक नागरिक का यह सहजात अधिकार है कि वह सरकार अथवा किसी सरकारी प्राधिकारी के प्रति शिकायतों को दूर किये जाने की मांग करे। इस प्रयोजन के लिये वे अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों अर्थात् संसद सदस्यों, जिनके प्रति सरकार जवाबदेह है, की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। कार्यपालिका की किसी कार्यवाही के प्रति कहीं से भी राहत पाने में असमर्थ होने पर लोग अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए संसद से संपर्क कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 350 में यह प्रावधान है कि:–

> ''प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिये संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में यह राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।''

इस संदर्भ में याचिका समिति कार्यपालिका की किसी कार्यवाही के प्रति जनता की शिकायतों पर विचार करने के लिए एक मंच प्रदान करती है।

समिति की उत्पत्ति तथा गठन

याचिकाएं देने की प्रथा उन सभी संसदीय शैलियों में से प्राचीनतम है जिनके द्वारा किसी आम शिकायत को दूर करने अथवा किसी सार्वजनिक महत्व के मामले पर जनता की राय को प्रकट करने के उद्देश्य से याचिकाएं प्रस्तुत की जाती हैं। इसकी उत्पत्ति स्वाधीनता पूर्व युग की विधान सभा में खोजी जा सकती है। इसकी उत्पत्ति का श्रेय तत्कालीन काउंसिल ऑफ स्टेट्स (राज्य सभा) में एक सदस्य द्वारा 15 सितम्बर, 1921 को प्रस्तुत किये गये संकल्प को जाता है। इस संकल्प में एक सार्वजनिक याचिका समिति स्थापित करने का आह्वान किया गया था जिसे साक्ष्य लेने की शक्तियां प्राप्त हों। इस मामले की जांच सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा की गयी, जिसने विधान-मंडल को प्रस्तावित शक्तियों से सशक्त किए जाने का समर्थन नहीं किया। तथापि, इसके द्वारा विधान-मंडल को केवल ऐसी

याचिकाएं भेज सकने के अधिकार प्रदान किये जाने की सिफारिश की गयी थी जो केवल लोक कार्य तक ही सीमित हों। इस समिति का वर्तमान नाम, अर्थात् 'याचिका समिति' वर्ष 1933 में पड़ा।

राज्य सभा की प्रथम याचिका समिति वर्ष 1952 में नियुक्त की गयी थी जिसके अध्यक्ष श्री जसपत राय कपूर थे तथा इसमें चार अन्य सदस्य थे। वर्ष 1964 तक समिति की सदस्य संख्या पांच ही रही, जिसके बाद इसे बढ़ाकर दस कर दिया गया जोकि अब तक वही है। राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों के नियम 147 से 153 में इस समिति के गठन, गणपूर्ति तथा इसके कार्यों के बारे में उपबंध किया गया है तथा उक्त नियमों की प्रथम अनुसूची में उस प्ररूप को भी विनिर्दिष्ट किया गया है जिसमें याचिका प्रस्तुत की जानी चाहिये। समिति का गठन राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों के नियम 147 के अंतर्गत किया जाता है। सामान्यत: इसका पुनर्गठन प्रतिवर्ष किया जाता है। समिति का कार्यकाल नई समिति के नाम-निर्देशन तक जारी रहता है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति माननीय सभापति द्वारा समिति के सदस्यों में से की जाती है।[1] नियम 148 में यह कहा गया है कि इसकी गणपूर्ति पांच से होगी। याचिकाओं की प्रकृति, रूप तथा स्वरूप उन्हें प्रस्तुत करने का तरीका भी इन नियमों द्वारा विनियमित होते हैं। वर्ष 1964 तक राज्य सभा में केवल ऐसे विधेयकों के संबंध में ही याचिकाएं प्रस्तुत की जा सकती थीं, जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए हों या सभा में पुर:स्थापित किये गये हों या जिनके बारे में प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई हो।

इस प्रकार समिति का कार्य-क्षेत्र सीमित था। तथापि, याचिका के कार्य-क्षेत्र को व्यापक बनाने की दृष्टि से 1964 में नियमों में संशोधन किये गये।

[1] नियम 149

संशोधित नियमों के अंतर्गत[2] याचिकाएं सभापति की सहमति से राज्य सभा को उपस्थित या प्रस्तुत की जा सकेंगी और उनका संबंध निम्नलिखित से होगा:–

(1) ऐसा विधेयक जो राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों के नियम 61 के अधीन प्रकाशित किया गया हो अथवा पुर:स्थापित किया गया हो अथवा जिसके बारे में इन नियमों के अधीन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई हो;

(2) कोई ऐसा अन्य विषय जो राज्य सभा के विचाराधीन कार्य से संबंधित हो; और

(3) कोई विषय जो सामान्य लोकहित का हो परन्तु ऐसा न हो:–

(क) जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय या किसी जांच-पड़ताल या किसी परिनियत न्यायाधिकरण या प्राधिकारी या किसी अर्धन्यायिक निकाय या आयोग के संज्ञान में हो;

(ख) जिससे ऐसे विषय उठते हों जिनसे भारत सरकार मुख्यतया संबंधित न हो;

(ग) जो किसी मूल प्रस्ताव या संकल्प के द्वारा उठाया जा सकता हो; अथवा

(घ) जिसके लिये, अधीनस्थ विधान सहित विधि के अधीन, जिसमें नियम, विनियम, उपविधियां सम्मिलित हों, जो केन्द्रीय सरकार या किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा बनाये गये हों जिसे ऐसे नियम, विनियम या उपविधियां बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की गयी हो, उपचार उपलब्ध है। सामान्यत: याचिका के प्रस्तुतीकरण या उसे स्वीकार करने के संबंध में अध्यक्ष की सहमति से पहले, आवश्यकता पड़ने पर सरकार की टिप्पणियां प्राप्त करने के पश्चात् उसकी जांच की जाती है कि क्या विषयवस्तु प्रथम दृष्ट्या अनुमत्य परिधि में आती है।

---

[2] नियम 138

याचिका निर्धारित प्रपत्र में तैयार की जानी अपेक्षित है[3] तथा यह राज्य सभा को संबोधित की जानी चाहिए। याचिका में शिकायत (शिकायतों) का विवरण तथा जिस विषय से याचिका का संबंध हो उसके बारे में याचिका देने वाले के निश्चित उद्देश्य संबंधी एक प्रार्थना होनी चाहिए।[4] याचिका में हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम और पता होना चाहिए और उसका प्रमाणीकरण हस्ताक्षरकर्ता द्वारा, यदि वह साक्षर हो तो उसके हस्ताक्षर से और यदि निरक्षर हो तो उसके अंगूठे के निशान से किया जायेगा।[5] यदि याचिका एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की गयी हो तो उसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम और पते होने चाहिए तथा उस पर सभी व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिए। यदि याचिका किसी राज्य सभा सदस्य द्वारा उपस्थित की जाये तो प्रत्येक याचिका पर वह प्रतिहस्ताक्षर करेगा।[6] याचिका उपस्थित करने वाला सदस्य महासचिव को याचिका उपस्थित करने के अपने इरादे की पूर्व सूचना देगा।[7] याचिका सदस्य द्वारा उपस्थित की जा सकेगी या महासचिव को भेजी जा सकेगी, बाद की अवस्था में वह राज्य सभा को उस तथ्य की सूचना देगा और ऐसी सूचना दिये जाने पर किसी वाद-विवाद की अनुमति नहीं दी जायेगी।[8] प्रत्येक याचिका सम्मानपूर्ण और संयत भाषा में लिखी जायेगी और वह हिन्दी में या अंग्रेजी में होगी। यदि कोई याचिका किसी अन्य भाषा में दी जाये तो उसके साथ उसका हिन्दी या अंग्रेजी अनुवाद संलग्न होगा और उस पर याचिका देने वाले के हस्ताक्षर होंगे।[9] किसी याचिका के साथ पत्र, शपथ-पत्र या अन्य प्रलेख संलग्न नहीं किये जायेंगे।[10] दूसरे शब्दों में, याचिका स्वत: पूर्ण तथा स्वत: स्पष्ट होनी चाहिए और जिस विषय से उसका संबंध हो उसके बारे में याचिका देने वाले के निश्चित उद्देश्य का वर्णन करने वाली प्रार्थना के साथ समाप्त होनी चाहिए।

---

[3] नियम 139
[4] नियम 143
[5] नियम 140
[6] नियम 142
[7] नियम 144
[8] नियम 145
[9] नियम 139
[10] नियम 141

स्वीकार किये जाने से पूर्व प्रावस्था

जब सचिवालय में कोई याचिका प्राप्त होती है तो उसकी जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि वह नियमानुसार स्वीकार्य है या नहीं। राज्य सभा के सभापति द्वारा याचिका को स्वीकार कर लिये जाने पर संबंधित सदस्य को उसकी सुविधानुसार किसी तिथि को याचिका उपस्थित करने की अनुमति दे दी जाती है तथा याचिका को उपस्थित करने के लिए उस दिवस की कार्यावलि में आवश्यक प्रविष्टि कर दी जाती है। प्रत्येक याचिका, यथास्थिति, सदस्य द्वारा उपस्थित किये जाने अथवा महासचिव द्वारा सूचित किये जाने के बाद याचिका समिति को सौंपी गयी समझी जायेगी।[11]

समिति का कार्यकरण

समिति का कार्य (i) उसे सौंपी गयी प्रत्येक याचिका की जांच करना है[12] और (ii) याचिका में अंतर्विष्ट शिकायतों के बारे में सभा को प्रतिवेदित करना है[13]। समिति विशिष्ट शिकायतों के बारे में प्रतिवेदित करने में समर्थ हो सके, इसके लिए समिति को ऐसे साक्ष्य लेने अथवा ऐसे पत्र मंगवाने की शक्तियां प्राप्त हैं जिन्हें वह उचित समझे। इस प्रकार समिति को याचिका में अंतर्विष्ट विशिष्ट शिकायतों के बारे में न केवल सिफारिशें करने की व्यापक शक्तियां हैं बल्कि उसे विचाराधीन मामले में संबंधित, ठोस रूप में या भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपचारी उपायों का सुझाव देने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।

व्यवहार में, समिति उन याचिकाओं को विस्तृत रूप में या सारांश रूप में परिचालित करने का आदेश देती है, जिनका संबंध विधेयकों अथवा सभा के समक्ष लंबित मामलों से होता है। जहां तक सामान्य लोकहित के मामलों से संबंधित याचिकाओं का संबंध है, समिति उनमें अंतर्विष्ट शिकायतों की गहराई से जांच करती है, उनके संगत मंत्रालयों अथवा विभागों से औपचारिक टिप्पणियां प्राप्त करती है और याचिका की विषय-वस्तु से संबंधित याचिकादाताओं तथा मंत्रालयों या विभागों के प्रतिनिधियों सहित साक्षियों की जांच करती है। समिति अपने विचाराधीन याचिका की विषय-वस्तु में उल्लिखित समस्या के

[11] नियम 150

[12] नियम 151(1)

[13] नियम 152(2)

बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से घटनास्थल संबंधी दौरे भी करती है।

नियम समिति ने एक समय इस सुझाव से सहमति व्यक्त की थी कि याचिका समिति को शिकायतों के निवारण की प्रार्थना करने के संबंध में व्यक्तियों या संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदनों, पत्रों, टेलीग्राम पर भी विचार करना चाहिए और सिफारिश की कि अध्यक्ष को इस संबंध में आवश्यक निदेश जारी करने पर विचार करना चाहिए। तथापि, बाद में समिति ने इस निर्णय पर विस्तृत पुनर्विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि समिति को मौजूदा उपबंधों की परिधि के भीतर ही कार्य करना चाहिए और प्रक्रिया संबंधी नियमों के अधीन न आने वाली याचिकाओं पर विचार की अनुमति देने के लिए इसके अधिकारक्षेत्र का विस्तार करने की, इस तथ्य को देखते हुए, आवश्यकता नहीं है कि इस तरह की याचिकाओं के लिए अन्य सामान्य चैनल उपलब्ध हैं। इसलिए, अपने पिछले निर्णय के अधिक्रमण में समिति का मत था कि अध्यक्ष को इस संबंध में कोई निदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

तथापि, राज्य सभा की याचिका समिति को सुदृढ़ करने के संदर्भ में माननीय सभापति ने समिति द्वारा अभ्यावेदनों पर विचार किए जाने के संबंध में दिनांक 1 जुलाई, 2011 को निम्नलिखित दिशानिर्देश दिया है:–

''समिति विभिन्न व्यक्तियों, संघों आदि से प्राप्त अभ्यावेदनों, पत्रों और तारों, जो याचिकाओं से संबंधित नियमों में शामिल नहीं हैं, पर विचार किए जाने हेतु आवश्यकतानुसार बैठक करेगी और उनके निपटान के लिए दिशानिर्देश देगी:

परंतु यह कि वैसे अभ्यावेदन जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं, पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, परन्तु सचिवालय में प्राप्त होने पर फाइल कर दिया जाएगा:–

(i) गुमनाम पत्र अथवा ऐसे पत्र, जिन पर प्रेषक के नाम और/अथवा पते नहीं दिए गए हैं अथवा अस्पष्ट हैं; और

(ii) सभापति अथवा सभा के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी को संबोधित पत्रों की पृष्ठांकित प्रतियां जब तक कि शिकायत के निवारण का अनुरोध वाली ऐसी प्रति पर विशिष्ट अनुरोध न किया गया हो''।

समिति को अपने आंतरिक कार्यकरण के लिये नियम बनाने हेतु समर्थ करने की दृष्टि से राज्य सभा के सभापति ने 1976 में समिति को निम्नलिखित निदेश जारी किया:

''समिति (याचिका समिति) राज्य सभा को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन सहित इसे सौंपी गयी याचिका से संबंधित सभी मामलों के बारे में अपनी स्वयं की प्रक्रिया का विनिश्चय करेगी।''

इस निदेश के अनुसरण में समिति ने अपने आंतरिक कार्यकरण के लिए नियम बनाये हैं जो निम्नानुसार हैं:

1. राज्य सभा को याचिका प्रस्तुत या सूचित किये जाने के बाद सचिवालय याचिका की एक प्रति याचिका संबंधी तथ्यों या टिप्पणियों सहित, जो भी संबद्ध मंत्रालय/विभाग से प्राप्त हों, समिति के सदस्यों में उनकी जानकारी के लिये परिचालित करेगा।
2. समिति की बैठक की तारीख और समय निश्चित हो जाने के बाद कार्यसूची सहित उसकी सूचना समिति के सदस्यों में परिचालित की जायेगी।
3. समिति को परिचालित पत्र गोपनीय समझे जायेंगे और उनकी विषय-वस्तु समिति के अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी को प्रकट नहीं की जायेगी।
4. किसी सदस्य को, जोकि समिति का सदस्य न हो, समिति के अध्यक्ष के आदेश के अधीन समिति की बैठक में उपस्थित

होने के लिए आमंत्रित किया जा सकेगा परन्तु उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा।

5. समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों का अभिलेख रखा जायेगा।

6. सचिवालय समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त तैयार करेगा।

7. इस तथ्य का कि समिति के समक्ष साक्ष्य दिया गया था, सम्बद्ध बैठक के कार्यवृत्त में उल्लेख किया जायेगा।

8. समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त समिति के सदस्यों में परिचालित किये जायेंगे।

9. जहां समिति इस प्रकार का निदेश दे, सचिवालय मामले के तथ्यों या याचिका पर सम्बद्ध मंत्रालय/विभाग की टिप्पणियां प्राप्त करेगा और समिति के समक्ष उसके विचार के लिये रखेगा।

10. सचिवालय समिति का प्रारूप प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमें इसकी सिफारिशें निहित होंगी और उसको समिति के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जायेगा।

11. समिति का प्रतिवेदन अध्यक्ष द्वारा या, उसकी अनुपस्थिति में समिति के किसी सदस्य द्वारा राज्य सभा में उपस्थित किया जायेगा।

12. राज्य सभा में प्रतिवेदन के उपस्थित किए जाने के बाद, यथाशीघ्र उसकी प्रतियां राज्य सभा के सदस्यों तथा सम्बद्ध मंत्रालयों में परिचालित की जायेंगी।

13. प्रतिवेदन की एक प्रति सम्बद्ध याचिकादाता को भी प्रेषित की जायेगी। परन्तु याचिका पर एक से अधिक व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने की स्थिति में प्रतिवेदन की प्रति याचिका पर प्रथम हस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित की जायेगी।

14. प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर मंत्रालय सचिवालय को विवरण देंगे, जिनमें समिति द्वारा अपने प्रतिवेदनों में की गयी सिफारिशों पर उनके द्वारा की गयी अथवा की जाने वाली कार्यवाही दर्शायी गयी हो। इस प्रकार प्राप्त सूचना समिति के समक्ष उसके विचार के लिये ज्ञापनों के रूप में रखी जाएगी।

15. किसी मंत्रालय के समिति द्वारा की गयी सिफारिश को कार्यान्वित करने की स्थिति में न होने या उसे प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई अनुभव करने की स्थिति में मंत्रालय का दृष्टिकोण समिति के समक्ष रखा जायेगा जो, यदि आवश्यक हो, मामले के बारे में मंत्रालय/विभाग के दृष्टिकोण पर विचार करने के बाद राज्य सभा को एक और प्रतिवेदन देगी।

समिति की सिफारिशें समिति के सदस्यों के बीच आपसी विचार-विमर्श द्वारा तय की जाती हैं और परिपाटी के अनुसार सर्वसम्मत होती हैं। समिति का दृष्टिकोण सदैव पक्षपातरहित, निष्पक्ष तथा रचनात्मक होता है। इसकी सिफारिशों पर सरकार द्वारा अत्यधिक ध्यान दिया जाता है तथा अनेक मामलों में सरकार द्वारा इन पर विचार किया जाता है तथा इन्हें कार्यान्वित किया जाता है। समिति किसी सिफारिश पर तब तक आग्रह करती रहती है जब तक कि उसे अंतिम रूप से निपटा नहीं दिया जाता। किसी प्रतिवेदन के बारे में मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गयी कार्यवाही अथवा प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में उन्हें समिति को प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने की तारीख से छः महीने के भीतर सूचित करने के लिए कहा जाता है। जिन मामलों में मंत्रालयों/विभागों को किसी सिफारिश को कार्यान्वित करने में कठिनाई अनुभव होती है उन मामलों में उन्हें समिति के समाधान हेतु विश्वासोत्पादक कारण बताते हुए समस्या के स्वरूप का उल्लेख करना होता है। समिति को जहां कहीं यह आवश्यक हो, उसके द्वारा पहले विचार की जा चुकी याचिकाओं पर और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की शक्ति प्राप्त है।

समिति को समाज के विभिन्न वर्गों से याचिकाएं प्राप्त होती रहती हैं। समिति को सिविल कर्मचारियों, छात्रों, कर्मकारों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तथा समाज के अन्य विभिन्न वर्गों से याचिकाएं प्राप्त हुई हैं।

याचिका समिति ने अपने कार्यकाल की अवधि के दौरान अब तक 152 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं:

वर्ष	बैठकों की संख्या	प्रस्तुत प्रतिवेदन की संख्या
1952-1961	13	13
1962-1971	105	16
1972-1981	283	42
1982-1991	338	27
1992-2001	174	19*
2002-2005	42	10
2006-2007	28	4
2008-2009	31	7
2010-2011	32	5
2012-2013	37	5
2014-2015	22	5
2016-2017	29	2
2018-2019	12	2
2020 (मार्च तक)	1	-

*इसमें समिति के 112वें प्रतिवेदन के भाग के रूप में प्रस्तुत किये गए अंतरिम और अंतिम दोनों प्रतिवेदन शामिल हैं।

विशेषाधिकार समिति

एर्सकिन मे के अनुसार संसदीय विशेषाधिकार उन विशिष्ट अधिकारों का सार है जो संसद के संघटक के रूप में सामूहिक रूप से संसद की प्रत्येक सभा को तथा व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक सदस्य को प्राप्त हैं जिनके बिना वे अपने-अपने कार्य नहीं कर सकते और ये अधिकार अन्य निकायों या व्यक्तियों के अधिकारों से कहीं बढ़कर हैं। जब व्यक्तिगत रूप से सदस्यों के तथा सामूहिक हैसियत में सभा के इन अधिकारों तथा उन्मुक्तियों में से किसी भी अधिकार तथा उन्मुक्ति की, जो सामान्यत: विशेषाधिकार के नाम से जाने जाते हैं, किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा अवहेलना की जाती है या उन पर कोई आक्षेप किया जाता है तो यह अपराध 'विशेषाधिकार-हनन' कहलाता है जो संसद की विधि के अधीन दंडनीय अपराध है। संविधान का अनुच्छेद 105 और 194 संसद/राज्य विधान-मंडलों के सदस्यों और उनकी सभाओं, सदस्यों तथा समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों से संबंधित है। प्रत्येक सभा अपने वैध आदेशों की अवज्ञा या अपने अधिकारों या सदस्यों का अपमान जैसी कार्यवाही के लिए भी दंडित करने के अधिकार का दावा करती है जो किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का हनन न होते हुए भी इसके प्राधिकार या गरिमा के प्रति अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसी कार्यवाही हालांकि 'विशेषाधिकार-हनन' कहलाती है, फिर भी 'अवमानना' के रूप में इसका भेद करना अधिक उपयुक्त है।

संसद यह निर्णय लेने में अभियोजक और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी दोनों के रूप में कार्य करती है कि कोई मुद्दा सदन के विशेषाधिकार के उल्लंघन या सदन की अवमानना से संबंधित है या नहीं। प्रत्येक सदन की अपनी स्वयं की विशेषाधिकार समिति होती है जो सदन या उसके सदस्यों या किसी समिति के विशेषाधिकार के उल्लंघन से जुड़े ऐसे प्रत्येक प्रश्न की जाँच करती है, जो उसे सदन या सभापति/अध्यक्ष द्वारा संदर्भित किया जाता है। राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति 22 मई, 1952 को पहली बार अपने गठन के बाद से इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह

समिति सभा द्वारा या सभापति द्वारा भेजे गये विशेषाधिकार के प्रत्येक मामले की जांच करने तथा प्रत्येक मामले के तथ्यों के अनुसार यह निर्धारित करने के लिए गठित की जाती है कि क्या किसी विशेषाधिकार का हनन हुआ है और किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है। इसके साथ-साथ, यह समिति ऐसी सिफारिशें भी करती है जो यह उपयुक्त समझे। इसमें अपराधी को विशिष्ट स्वरूप का दंड देना भी शामिल है। समिति सभा द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का सुझाव भी दे सकती है जिसका समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए अनुपालन किया जाए। इसमें दस सदस्य होते हैं जिन्हें सभापति द्वारा नाम-निर्देशित किया जाता है। राज्य सभा के सभापति ही समिति के सदस्यों में से किसी को समिति अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। आमतौर पर, उपसभापति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। यदि किसी कारणवश उपसभापति समिति अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं कर पाते हैं तो सभापति किसी अन्य समिति के अध्यक्ष को उनके स्थान पर नियुक्त करते हैं। यदि समिति का अध्यक्ष किसी बैठक से अनुपस्थित होता है तो समिति किसी अन्य सदस्य को उस बैठक में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए चुनती है। समिति में सामान्य रिक्तियां सभापति द्वारा भरी जाती हैं। सामान्यत: समिति का कार्यकाल एक वर्ष होता है लेकिन नई समिति के गठित होने तक यह समिति कार्य करती रहती है। समिति की गणपूर्ति पांच सदस्यों से होती है।

समिति का प्रत्येक प्रतिवेदन समिति के अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में समिति के किसी सदस्य द्वारा सभा में प्रस्तुत किया जाता है। सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद, समिति का अध्यक्ष या उसका कोई भी सदस्य प्रतिवेदन पर विचार करने का प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है। कोई भी सदस्य प्रतिवेदन पर विचार के प्रस्ताव में संशोधनों की सूचना उस रूप में दे सकता है जो राज्य सभा के सभापति उपयुक्त समझें। प्रतिवेदन पर विचार करने के प्रस्ताव उपस्थित हो जाने के बाद, समिति का अध्यक्ष या समिति का कोई भी सदस्य अथवा कोई अन्य सदस्य जैसा भी मामला हो यह प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है कि सभा प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों से सहमत है या असहमत है या कुछ संशोधनों के साथ सहमत है।

समिति को भेजे गये विभिन्न मामलों पर इसने अब तक सभा में 69 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं।

आचार समिति

राज्य सभा की आचार समिति का गठन एक आंतरिक स्व-विनियामक प्रणाली के रूप में अपने सदस्यों के नैतिक और मर्यादा-अनुरूप आचरण का निरीक्षण करने तथा सदस्यों के नैतिक और अन्य कदाचार के संबंध में उसे सौंपे गए मामलों की जांच करने के लिए 4 मार्च, 1997 को राज्य सभा के सभापति द्वारा किया गया था। भारत के विधान-मंडलों में से इस प्रकार की समिति का गठन सर्वप्रथम राज्य सभा में किया गया था। समिति में इसके अध्यक्ष सहित दस सदस्य होते हैं। समिति के अध्यक्ष को इसके सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है। सामान्य रूप से राज्य सभा में नेता/उपनेता/राजनैतिक दलों/समूहों के मुख्य सचेतक/सचेतक राज्य सभा के सभापति द्वारा आचार समिति के सदस्यों के रूप में नाम-निर्देशित किए जाते हैं।

राज्य सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन विषयक नियम में आचार समिति (नियम 286-303) से संबंधित अध्याय XXIV को 20 जुलाई, 2004 से जोड़ा गया था।

नियम 290 के अधीन समिति के निम्नलिखित कृत्य हैं, नामतः-

(क) सदस्यों के सदाचार और नैतिक आचरण पर ध्यान रखना;

(ख) सदस्यों के लिए आचार संहिता तैयार करना और राज्य सभा में प्रतिवेदन के रूप में आचार संहिता में समय-समय पर संशोधन या परिवर्तन करने के लिए सुझाव देना;

(ग) सदस्यों के कथित आचरण और अन्य दुराचरण से संबंधित मामलों अथवा सदस्यों द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने की जांच करना; और

(घ) स्वप्रेरणा से अथवा विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर समय-समय पर आचार विषयक मानदण्डों से संबंधित प्रश्नों पर सदस्यों को सलाह देना।

राज्य सभा की प्रक्रिया और कार्य-संचालन विषयक नियमों के नियम 297 में यह उपबंध है कि जब भी यह पाया जाए कि किसी सदस्य ने कोई अनैतिक आचरण या अन्य कदाचारपूर्ण कार्य किया है या उसने संहिता/नियमों का उल्लंघन किया है तो समिति निम्नलिखित दण्डों में से एक या उससे अधिक दण्ड देने की सिफारिश कर सकती है:–

(क) निन्दा;

(ख) भर्त्सना;

(ग) विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सदन से निलंबन; तथा

(घ) समिति द्वारा उचित समझा गया कोई अन्य दण्ड।

यह समिति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क की उप-धारा (3) के अधीन राज्य सभा के सभापति द्वारा बनाए गए राज्य सभा सदस्य (आस्तियों तथा देयताओं की घोषणा) नियम, 2004 के अधीन किसी सदस्य द्वारा अपनी व अपने नजदीकी परिवारजनों की आस्तियों और देयताओं के घोषणा पत्रों के अभिलेखों के अनुरक्षक और निरीक्षक (ओवरसियर) के रूप में भी कार्य करती है।

राज्य सभा सदस्य (आस्तियों तथा देयताओं की घोषणा) नियम, 2004 के नियम 3 के अन्तर्गत सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को शपथ अथवा प्रतिज्ञान लेने की तिथि से 90 दिन के भीतर राज्य सभा के सभापति को प्रपत्र-I में निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है:–

(क) वह जंगम और स्थावर संपत्ति जिसके वह, उसका पति/उसकी पत्नी और उस पर आश्रित बच्चे संयुक्त अथवा पृथक् रूप से स्वामी अथवा लाभभोगी हों;

(ख) किसी सरकारी वित्तीय संस्था के प्रति उसकी देयताएं; और

(ग) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों के प्रति उसकी देयताएं।

सदस्यों द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत सूचना की समुचित रूप से प्रविष्टि एक रजिस्टर में की जाती है जिसका नाम 'आस्तियों तथा देयताओं संबंधी रजिस्टर' है।

प्रत्येक सदस्य, प्रारंभिक घोषणा के पश्चात् प्रत्येक वर्ष मार्च के 31वें दिन की स्थिति के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली सूचना में उस वर्ष के 30 जून तक परिवर्तनों, यदि कोई हों, को भी अधिसूचित करेगा।

'आस्तियों तथा देयताओं' में राज्य सभा के सदस्यों, उनके पति/पत्नी एवं आश्रित बच्चों की भारत और विदेश में स्थित जंगम और स्थावर आस्तियों तथा सदस्यों की भारत और विदेश में देयताओं की घोषणा शामिल है।

नियम 293 के अधीन राज्य सभा सदस्यों को 'सदस्यों के हितों संबंधी रजिस्टर' में पंजीकरण के लिए पांच आर्थिक हितों, अर्थात् लाभप्रद निदेशकत्व, सतत्–लाभप्रद कार्यकलाप, नियंत्रक प्रकृति की शेयरधारिता, प्रदत्त परामर्श तथा वृत्तिक कार्य के संबंध में विहित प्रपत्र में घोषणाएं प्रस्तुत करनी होंगी।

'आर्थिक हितों' में राज्य सभा सदस्यों द्वारा भारत और विदेश में उनके आर्थिक हितों के संबंध में की गई घोषणाएं शामिल हैं।

प्रत्येक सदस्य अपना पद ग्रहण करने हेतु शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने और हस्ताक्षर करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर विहित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगा और वह प्रति वर्ष 31 मार्च को प्रस्तुत सूचना में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो उसे भी इस तारीख से 90 दिनों के भीतर, अधिसूचित करेगा।

समिति ने अब तक दस प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं। समिति 8 दिसम्बर, 1998 को सभा में प्रस्तुत और 15 दिसम्बर, 1999 को सभा द्वारा स्वीकृत अपने पहले प्रतिवेदन में इस निष्कर्ष पर पहुंची कि राज्य सभा सदस्यों के लिए एक आचार संहिता तैयार की जाए। भारतीय संदर्भ में विद्यमान विशेष आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समिति ने आचार संहिता की एक रूपरेखा की सिफारिश की।

समिति ने 13 दिसम्बर, 1999 को सभा में प्रस्तुत और 15 दिसम्बर, 1999 को सभा द्वारा स्वीकृत अपने दूसरे प्रतिवेदन में समिति को परिवाद

करने, परिवाद की जांच की कार्यविधि और सिद्ध अनैतिक आचरण के लिए अथवा संहिता के उल्लंघन के मामले में शास्तियों का उपबंध करने से संबंधित प्रक्रिया की सिफारिश की।

समिति ने 12 अगस्त, 2002 को सभा में प्रस्तुत और 9 दिसम्बर, 2003 को सभा द्वारा स्वीकृत अपने तीसरे प्रतिवेदन में सभा में या उसके बाहर सदस्यों के आचरण से उत्पन्न मुद्दों पर विचार किया था। समिति ने यह दोहराया कि सदस्यों के आचरण के मानदंड में कमी से संबंधित मुद्दों पर विचार करते समय समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और नैतिकता संबंधी मुद्दों से मात्र विधान के द्वारा नहीं निपटा जा सकता है।

14 मार्च, 2005 को राज्य सभा में प्रस्तुत और 20 अप्रैल, 2005 को सभा द्वारा स्वीकृत अपने चौथे प्रतिवेदन में समिति ने सिफारिश की कि सदस्य 'सदस्यों के हितों के रजिस्टर' में पंजीकरण के लिए निर्धारित प्रपत्र में पांच आर्थिक हितों यानि लाभप्रद निदेशकत्व, सतत लाभप्रद कार्यकलाप, नियंत्रक प्रकृति की शेयरधारिता, प्रदत्त परामर्श और वृतिक कार्य के संबंध में जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके सभा में अनुशासन और शालीनता, आस्तियों और देयताओं की घोषणा, प्रतिबंधों की सिफारिश करने की शक्ति पर भी विचार किया और समिति के पहले प्रतिवेदन में सदस्यों के लिए यथा संस्तुत आचार संहिता की बात को दोहराया।

13 दिसंबर, 2005 को राज्य सभा में प्रस्तुत किये गए तथा स्वीकार किये गए अपने पांचवें प्रतिवेदन (प्रारंभिक) में समिति ने अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत होने तक डा. छत्रपाल सिंह लोधा, संसद सदस्य, राज्य सभा के निलंबन की सिफारिश की। डा. लोधा को प्रश्न पूछने के लिए पैसे लेते हुए टेप पर पकड़ा गया था जिसे एक निजी टी.वी. चैनल द्वारा एक स्टिंग आपरेशन के प्रसारण में दिखाया गया था।

15 दिसम्बर, 2005 को प्रस्तुत और 21 मार्च, 2006 को सभा द्वारा स्वीकृत छठे प्रतिवेदन में समिति ने नियम 293 के उप-नियम (3) के अंतर्गत आम जनता को 'सदस्यों के हितों संबंधी रजिस्टर' में अंतर्विष्ट सूचना देने की प्रक्रिया पर ध्यान केन्द्रित किया।

समिति ने सिफारिश की कि 'सदस्यों के हितों संबंधी रजिस्टर' में अंतर्विष्ट सूचना किसी व्यक्ति को आचार समिति के अध्यक्ष की लिखित अनुमति से उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके लिए दिए जाने वाले आवेदन में (i) उस व्यक्ति का नाम, व्यवसाय और पता; (ii) किसी अन्य व्यक्ति अथवा संगठन का नाम और पता जिसकी ओर से निरीक्षण अथवा प्रतिलिपि के लिए अनुरोध किया गया है; और (iii) निम्नलिखित पैरा के अनुसार उस व्यक्ति के सूचना प्राप्त करने पर प्रतिषेध अथवा उसके उपयोग के संबंध में जानकारी होने की बात लिखी होनी चाहिए।

किसी व्यक्ति के लिए उक्त सूचना (i) किसी अवैध उद्देश्य हेतु; (ii) समाचार एवं संचार मीडिया द्वारा आम जनता में प्रसार के प्रयोजन से इतर किसी वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु; और (iii) किसी राजनैतिक, धर्मार्थ अथवा अन्य प्रयोजन के लिए धन की याचना हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग हेतु प्राप्त करना और प्रयोग करना अवैध होगा।

समिति ने 'सदस्यों के हितों संबंधी रजिस्टर' के अवलोकन हेतु जनता के अधिकार के लिए निम्नलिखित शर्तें भी निर्धारित कीं, अर्थात् (i) अवलोकन करने के अधिकार का पर्यवेक्षण किया जाएगा; (ii) सूचना मांगने वाले नोट तैयार कर सकते हैं। अनुरोध किए जाने पर सदस्य के विवरण अथवा उसकी घोषणा की फोटो प्रति उपलब्ध कराई जा सकती है। सभी मामलों में सदस्य के पूर्ण विवरण अथवा घोषणा की ही फोटो प्रति उपलब्ध कराई जाएगी, उद्धरणों की नहीं। विवरण अथवा घोषणा की प्रति व्यक्तिगत रूप से प्राप्त की जा सकती है अथवा डाक द्वारा भेजी जा सकती है; (iii) अवलोकन करने के बारे में निम्नलिखित रिकॉर्ड रखा जाएगा: सूचना मांगने वाले व्यक्ति का नाम और पता (और संगठन, यदि प्रासंगिक हो), निरीक्षण की तारीख और समय और फोटो कॉपी करवाए गए पृष्ठों की कुल संख्या; और (iv) रजिस्टर में दर्ज ब्यौरा (उदाहरणस्वरूप ऐसी सलाह कि किसी सदस्य विशेष ने किसी हित विशेष की घोषणा की है अथवा नहीं अथवा कोई बदलाव विशेष अधिसूचित किया गया है अथवा नहीं) दूरभाष पर नहीं दिया जाएगा।

23 दिसम्बर, 2005 को राज्य सभा में प्रस्तुत किये गए तथा स्वीकार किए गए सातवें प्रतिवेदन में समिति ने इस बात के प्रबल तथा निश्चित

साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने राज्य सभा के सदस्यों के लिए आचार संहिता के पैरा (v) का उल्लंघन किया है और उनका व्यवहार सभा की गरिमा के लिए अनादरपूर्ण है, डा. लोधा को राज्य सभा की सदस्यता से निष्कासित करने की सिफारिश की।

समिति ने कुछ देशों में गैर-कानूनी माने जाने वाले स्टिंग आपरेशन के संबंध में सामान्य टिप्पणी की और यह महसूस किया कि ऐसी गुप्त कार्यवाहियों को विनियमित किये जाने की आवश्यकता है। समिति ने यह सुझाव भी दिया कि कानूनी सलाह लेने के पश्चात् संबंधित प्राधिकारी इस प्रकार के संदेहास्पद सौदों में सूत्र के रूप में काम करने वाले भ्रष्ट बिचौलियों, सदस्यों के निजी सचिवों/निजी सहायकों, संसदीय दल कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही आरंभ कर सकते हैं।

दिनांक 24 फरवरी, 2006 को प्रस्तुत तथा सभा द्वारा 21 मई, 2006 को स्वीकृत अपने आठवें प्रतिवेदन में समिति ने एक अन्य मामले की जांच की जो राज्य सभा के दो सदस्यों के अभिकथित अनुचित आचरण से संबंधित था तथा जो एम.पी. लैड्स के तहत कुछ परियोजनाओं के निष्पादन के लिए उनके द्वारा निधियों को स्वीकृत/अनुशंसित किए जाने से पैदा हुआ था और जिसे एक निजी चैनल द्वारा 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' शीर्षक से प्रसारित कार्यक्रम में दिखाया गया था। जहां समिति ने एक सदस्य को दोषमुक्त किया वहीं समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि डा. स्वामी साक्षी जी महाराज का आचरण राज्य सभा के सदस्यों हेतु आचार संहिता की मद (i) और (xiv) का उल्लंघन था, और तद्नुसार समिति ने सभा की सदस्यता से उनके निष्कासन की सिफारिश की क्योंकि उनके आचरण से सभा और उसके सदस्यों की बदनामी हुई थी।

समिति ने गुप्त कार्यवाहियों को विनियमित किये जाने और भ्रष्ट बिचौलियों, सदस्यों के निजी सचिवों और संसदीय दल कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों, जो संसद के साथ गुप्त कार्यवाही करने वाले रिपोर्टरों की बैठकों की व्यवस्था करने में निमित्त होते हैं और संदेहास्पद सौदों में सूत्र के रूप में काम करते हैं, के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किये जाने के लिए संसद द्वारा विधि के अधिनियम की आवश्यकता संबंधी अपनी सिफारिशों को दोहराया।

राज्य सभा सदस्य (आस्तियों तथा देयताओं की घोषणा) नियम, 2004 के नियम 3 के अंतर्गत राज्य सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को जंगम और स्थावर संपत्ति, जिसका वह, उसका पति/उसकी पत्नी और उसके आश्रित बच्चे संयुक्त अथवा पृथक रूप से स्वामी अथवा लाभभोगी हों, के बारे में राज्य सभा के सभापति के समक्ष सूचना प्रस्तुत करनी होती है। ये नियम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सभा के सभापति द्वारा बनाये गये हैं और इसी अधिनियम की धारा 75क की उप-धारा (5) के स्पष्टीकरण (v) में उल्लिखित शब्द 'आश्रित बच्चे' की परिभाषा, राज्य सभा सदस्यों के आश्रित बच्चों के संदर्भ में भी लागू होती है।

18 फरवरी, 2009 को सभा में प्रस्तुत किये गये अपने नौवें प्रतिवेदन में समिति ने यह नोट किया कि शब्द 'आश्रित बच्चे' की परिभाषा युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होती है क्योंकि इसके लिए कोई आयु-सीमा निर्धारित नहीं की गई है और उनके आय का कोई पृथक स्रोत नहीं होना इसका एकमात्र निर्धारक कारक बताया गया है जिसके बारे में समिति ने यह महसूस किया है कि इस शब्द की परिभाषा अन्य स्थानों पर दी गई इसी शब्द की भाषा के अनुरूप नहीं है। इसलिए, समिति ने यह सिफारिश की कि विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की सहमति के पश्चात् लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क की उप-धारा (5) के स्पष्टीकरण (v) में दी गई 'आश्रित बच्चे' शब्द की परिभाषा को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में दी गई परिभाषा से प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

राज्य सभा के सदस्य डा. विजय माल्या द्वारा अपनी आस्तियों और देयताओं संबंधी विवरणी में बैंकों से लिए गए ऋण जैसी देयताओं को प्रकट नहीं किया जाने के संबंध में समिति ने 4 मई, 2016 को सदन में अपना दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समिति ने सर्वसम्मति से सदन से सिफारिश की कि डा. विजय माल्या को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया जाए। समिति की राय थी कि इस तरह की कड़ी कार्रवाई करने से आम जनता तक एक संदेश पहुंचेगा कि संसद इस महान संस्था की गरिमा को बनाए रखने के लिए इस तरह के कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

प्रश्नों की सूची में शामिल मौखिक तथा लिखित उत्तर के लिये स्वीकृत किये गये संसदीय प्रश्न विधायिका द्वारा कार्यपालिका को उसके कृताकृतों के लिए जवाबदेह बनाने के कुछ साधन हैं। यह स्वाभाविक है कि सदन में पूछे गये प्रश्न अथवा उस प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय अनेक बार सदस्यों द्वारा मांगी गई संपूर्ण जानकारी नहीं दे पाते हैं। सदस्यों को भी इस बात की जानकारी होती है कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे या मांगी गई जानकारी मंत्री के पास सदैव तत्काल उपलब्ध नहीं हो सकती है। तथापि, वे मंत्री से एक समुचित उत्तर की अपेक्षा करते हैं। यह एक आश्वासन के रूप में हो सकती है कि सूचना बाद में प्रदान कर दी जाएगी या सरकार संबंधित मामले में क्या करने का विचार रखती है। इसकी सूचना सदन को दे दी जाएगी। इस प्रकार, कई बार मंत्री महोदय इस आशय के आश्वासन, प्रतिज्ञाएं या वचन देते हैं कि मामले पर विचार किया जा रहा है या उस पर उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है अथवा जानकारी एकत्र की जा रही है जो बाद में सभा में प्रस्तुत कर दी जायेगी। इस प्रकार के आश्वासन केवल प्रश्नों का उत्तर देते समय ही नहीं दिये जाते हैं बल्कि, विधेयकों, संकल्पों, प्रस्तावों आदि पर चर्चा के दौरान भी दिये जाते हैं। ये आश्वासन सुरक्षा वाल्व की तरह कार्य करते हैं और जब मंत्री महोदय द्वारा जानबूझकर अस्पष्ट अथवा असंतोषजनक उत्तर दिए जाते हैं तो ये आश्वासन ऐसे हालात में सामान्यतया उत्पन्न होने वाले क्षणिक असंतोष को शांत करने में मदद करते हैं।

परन्तु जन-हित में मामले को सदस्य को दिए गए आश्वासन या उसके माध्यम से सदन को दिए गए आश्वासन तक ही नहीं छोड़ा जा सकता है। इस बात की भी संभावना हो सकती है कि मंत्री महोदय आश्वासन देने के पश्चात् प्रशासनिक या अन्य कारणों से उसे पूरा न कर पाएं। दूसरी ओर, किसी सदस्य के लिये इस बात पर नजर रखना बहुत मुश्किल/अव्यावहारिक है कि क्या मंत्री महोदय द्वारा सदन में दिया गया आश्वासन वास्तव में पूरा कर दिया गया है अथवा नहीं। इस बात की जानकारी प्राप्त करने/निगरानी करने का कोई साधन नहीं था कि क्या मंत्री द्वारा दिये गये सभी आश्वासन क्रियान्वित कर दिये गये हैं क्योंकि सदस्यों के पास ऐसे सभी

आश्वासनों का पूरा रिकॉर्ड नहीं होता था। इसलिये सदस्य को आश्वासन को क्रियान्वित करवाने के लिये अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कभी-कभी मंत्री इस बात का दावा करते थे कि आश्वासन विशेष को क्रियान्वित कर दिया गया है। परंतु मामले की गहराई में जाने पर यह पता चलता था कि संबंधित आश्वासन को पूरा ही नहीं किया गया। यह भी हो सकता है कि आश्वासन के किसी अंश को, जो विशेष महत्व का न हो, पूरा कर दिया गया हो और आश्वासन के वास्तविक अंश पर कोई ध्यान नहीं दिया गया हो। विगत में, सरकार पर, संसद के समक्ष किसी प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की कोई बाध्यता नहीं थी और मंत्रियों द्वारा सदन में दिये गये आश्वासनों, वचनों, प्रतिज्ञाओं आदि को पूरा करने की जानकारी सदन में प्रस्तुत करने का कार्य सरकार पर छोड़ दिया गया था।

इसके मद्देनजर, इन कठिनाइयों को दूर करने और इस प्रकार के आश्वासनों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के उद्देश्य से इन मामलों से संबंधित काम को देखने के लिए एक संसदीय अभिकरण का गठन किए जाने की आवश्यकता महसूस की गयी। तदनुसार, 1 जुलाई, 1972 को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति अस्तित्व में आई। यह समिति अपनी तरह की एक अनूठी समिति है और पूर्णतया भारतीय खोज है।

समिति में अध्यक्ष सहित दस सदस्य होते हैं। राज्य सभा के सभापति के सदस्यों में से एक सदस्य को समिति का अध्यक्ष, नियुक्त करते हैं। यदि उपसभापति समिति के सदस्य होते हैं तो उन्हें समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। समिति का कार्यकाल नयी समिति गठित किये जाने तक होता है।

राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 212क और 212छ इस समिति से संबंधित हैं। जैसाकि राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 212क में वर्णित है, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का कार्य सभा में मंत्रियों द्वारा समय-समय पर दिये गये आश्वासनों, वचनों, प्रतिज्ञाओं आदि की संवीक्षा करना और निम्नलिखित के बारे में प्रतिवेदन करना है:–

(क) ऐसे आश्वासन, वचन, प्रतिज्ञाएं आदि का किस सीमा तक कार्यान्वयन कर दिया गया है; और

(ख) यदि उनका कार्यान्वयन कर दिया गया है तो क्या यह कार्यान्वयन इस काम के लिए आवश्यक न्यूनतम समय में हुआ है।

इस प्रकार समिति सदन में दिए गए आश्वासनों के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। यह समयावधि बढ़ाने, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखे गए आश्वासनों और कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को छोड़े जाने के संबंध में मंत्रालयों/विभागों के अनुरोधों पर भी विचार करती है।

समिति ने 7 नवम्बर, 1972 को स्वीकृत अपने पहले प्रतिवेदन में ऐसी 34 मदों/अभिव्यक्तियों के प्रारूपों की एक मानक सूची को स्वीकृति प्रदान की है जिन्हें सभा में मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं आदि के रूप में माना जाता है। तथापि, प्रतिवेदन के उपबंध-IV में दी गई अभिव्यक्तियों/मदों की यह सूची केवल उदाहरण स्वरूप है, यह विस्तृत सूची नहीं है और यह समिति और साथ-साथ राज्य सभा सचिवालय के मागदर्शन के लिये है। इस सूची में किसी शब्द को जोड़ने या हटाने का काम स्वयं समिति करती है। महत्वपूर्ण मामलों में अध्यक्ष समिति को उसके द्वारा समिति के नाम से की गयी कार्यवाही के बारे में अवगत कराता रहता है।

उचित समय के भीतर किसी आश्वासन का कार्यान्वयन न होने के कारण उसका उद्देश्य और महत्व समाप्त हो जाता है। इसलिये, समिति ने किसी आश्वासन के कार्यान्वयन के लिये तीन महीने की समय-सीमा निर्धारित की है।

समिति के प्रथम प्रतिवेदन के परिशिष्ट-I में इसके आंतरिक कार्यकरण के नियम निर्धारित किए गए हैं। समिति द्वारा जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है उसमें उक्त प्रतिवेदन के परिशिष्ट-IV में समिति द्वारा स्वीकृत अभिव्यक्तियों या मदों की मानक सूची के आधार पर सभा के शब्दशः कार्यवाही से आश्वासनों की छंटनी की जाती है। आश्वासनों की ऐसी सूचियां समिति की ओर से संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा भी तैयार की जाती हैं। यदि दोनों सूचियों के बीच कोई विसंगति होती है तो मामला संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ उठाया जाता है।

सभा की कार्यवाही से आश्वासनों आदि को छांटकर निकाले जाने के पश्चात्, सचिवालय उन आश्वासनों को संबंधित मंत्रालयों के पास उनके कार्यान्वयन के लिए भेजता है। तत्पश्चात् मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय को सूचित करते हुए उन पर कार्यवाही करता है। मंत्रालयों द्वारा भेजी गयी जानकारी के आधार पर संसदीय कार्य मंत्री समय-समय पर मंत्रालयों द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में सभा पटल पर

विवरण रखता है। इन विवरणों में स्पष्ट रूप से विशिष्ट आश्वासनों के कार्यान्वयन को दर्शाया जाता है और जहां कहीं आवश्यक होता है, इनके दस्तावेज भी रखे जाते हैं।

समिति आश्वासनों को हटाने के संबंध में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोधों पर भी विचार करती है और इसमें यह अनुरोध भी शामिल है कि किसी मंत्री द्वारा किसी विशिष्ट वक्तव्य का आश्वासन न माना जाए।

आश्वासनों के कार्यान्वयन संबंधी विवरणों के सभा पटल पर रखे जाने के तुरंत पश्चात् सचिवालय, समिति की ओर से, यह सुनिश्चित करने के लिए इन विवरणों की संवीक्षा करता है कि क्या आश्वासनों का पूर्ण तथा संतोषजनक कार्यान्वयन हुआ है या किसी भी आश्वासन पर कोई और कार्यवाही करना अपेक्षित है या उनके कार्यान्वयन में असाधारण विलंब हुआ है। इस मामले में प्राप्त निष्कर्ष समिति के समक्ष उसके विचारार्थ रखे जाते हैं।

कतिपय आश्वासनों के कार्यान्वयन में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही संबंधी विवरण पर विचार करते समय या उन आश्वासनों के संबंध में विचार करते समय जिनका कार्यान्वयन संतोषजनक रूप से नहीं हुआ है या कार्यान्वयन में हुए विलंब के मामले में समिति को प्रश्नावली जारी करने तथा संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों को उसके समक्ष साक्ष्य देने के लिये बुलाने का विवेकाधिकार है। सरकार को भी यह अधिकार है कि किसी विशिष्ट आश्वासन के संबंध में ऐसे तथ्य को समिति की जानकारी में लाये जिस पर वह समिति द्वारा अनुमोदन दिया जाना आवश्यक समझती हो।

आश्वासनों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही की जांच के पश्चात् समिति इस संबंध में अपने निष्कर्ष निकालती है कि वे आश्वासन वास्तविक रूप से किस हद तक कार्यान्वित किये गये हैं तथा उनके कार्यान्वयन में कितना समय लगा है और उसके बाद अपनी सिफारिशें करती है। प्रतिवेदन को अध्यक्ष द्वारा या इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत किये गये समिति के किसी अन्य सदस्य द्वारा सभा में प्रस्तुत किया जाता है।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति ने एक सॉफ्टवेयर (सीजीए सॉफ्टवेयर) भी विकसित किया है जहां मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित सभी आश्वासनों के संबंध में बढ़ाई गई समयावधि संबंधी अद्यतन सूचना देख सकते हैं।

समिति ने जुलाई, 1972 में अस्तित्व में आने के बाद से अब तक सदन में 73 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:–

वर्ष	बैठकों की संख्या	प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या
1972	5	1
1973	18	2
1974	18	2
1975	21	1
1976	19	1
1977	19	2
1978	22	3
1979	27	1
1980	31	3
1981	47	4
1982	39	2
1983	33	2
1984	32	2
1985	20	2
1986	24	2
1987	28	2
1988	11	1
1989	45	2
1990	23	1
1991	44	1
1992	10	1

वर्ष	बैठकों की संख्या	प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या
1993	10	1
1994	12	1
1995	12	1
1996	12	1
1997	14	1
1998	11	3
1999	15	3
2000	10	3
2001	9	2
2002	7	2
2003	5	1
2004	7	1
2005	12	1
2006	7	1
2007	8	1
2008	6	1
2009	7	1
2010	10	1
2011	10	1
2012	14	1
2013	18	1
2014	15	1
2015	8	1
2016	7	1
2017	8	1
2018	7	1
2019	5	1
2020 (मार्च तक)	2	–

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

भारत के संविधान में न्याय और समानता पर आधारित एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का उपबंध किया गया है। किसी सामान्य व्यक्ति के जीवन में शायद ही कोई ऐसा क्रियाकलाप होगा जो राज्य द्वारा किसी-न-किसी रूप से विनियमित नहीं किया जाता है। तद्नुसार सरकार के कार्यों का स्वरूप और उसका कार्य-क्षेत्र तेजी से बदल रहा है और विधान-मंडलों की जिम्मेदारियों में भी वृद्धि हो रही है। अत: सरकार का कार्य-क्षेत्र तथा सीमा काफी व्यापक हो गये हैं जिससे बड़ी संख्या में कानूनों को अधिनियमित करने की आवश्यकता पड़ती है।

किसी भी विधान-मंडल के लिये, तकनीकी और कभी-कभी पेचीदा किस्म के विषयों, जिसका खाका तैयार करने के लिए विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता होती है; तथा उभरती स्थितियों से निपटने के लिए लचीलेपन एवं अनुकूलनशीलता और शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता के कारण सभी व्यापक विधायी उपायों को पारित कर पाना, सभी संभावित आकस्मिकताओं तथा परिस्थितियों का अनुमान लगा पाना तथा उनसे निपटना संभव नहीं है। अत: ऐसे विवरणों को, जो निश्चित तौर पर आनुषंगिक या प्रक्रियात्मक स्वरूप के हैं, कानून के निर्धारित ढांचे तथा उसकी सीमाओं के भीतर तथा संसदीय नियंत्रण के अध्यधीन नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा पूरा किये जाने के लिए आसानी से छोड़ दिया जाता है।

संसद किसी विचाराधीन विधान के संबंध में व्यापक सिद्धांत निर्धारित करने से अधिक कुछ करने का प्रयत्न नहीं करती है। यह केवल एक विधायी नीति तैयार करती है तथा उस नीति अथवा उन सिद्धांतों के अंतर्गत उस विधि की प्रयुक्ति के संबंध में विस्तृत ब्यौरे तैयार करने का काम प्रशासनिक विभागों पर छोड़ देती है। जिन लिखतों में ये ब्यौरे उपलब्ध होते हैं वे नियम, विनियम, उपनियम, योजना और आदेश जैसे नामों से जाने जाते हैं। ये सब मिलकर अधीनस्थ विधान कहलाते हैं अर्थात् एक ऐसा विधान जो किसी ऐसे निकाय द्वारा बनाया गया हो जो कानून में उल्लिखित हो और सर्वोच्च विधायी संस्था, संसद के अधीनस्थ और नियंत्रण में हो। संसद अधीनस्थ

विधान पर तीन तरह से अपना नियंत्रण रखती है। सर्वप्रथम, वह कानून में उपबंध करके यह अपेक्षा करती है कि उसके अधीन बनाये गये नियमों आदि को संसद के पटल पर रखा जाये ताकि संसद को उनके बारे में जानकारी मिलती रहे। दूसरी, कानून के माध्यम से ही वह संसद को यह अधिकार देती है कि वह एक निर्धारित अवधि के भीतर उपस्थित किये गये किसी प्रस्ताव अथवा संकल्प को पारित करके उन नियमों में उपांतरण या संशोधन कर सके। तीसरे, विधान के अधीन बनाये गये नियमों की संवीक्षा करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति नामक एक समिति का गठन किया गया है।

इस प्रकार, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति संसद की बहुत ही महत्वपूर्ण समितियों में से एक है। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति सर्वप्रथम राज्य सभा के सभापति द्वारा 30 सितम्बर, 1964 को गठित की गयी थी जिसमें 15 सदस्य थे। समिति के कार्य-क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए 1972 में राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों में संशोधन किया गया ताकि समिति संविधान के तहत बनाये गये नियमों और विनियमों की संवीक्षा कर सके। समिति में पंद्रह सदस्य होते हैं जिन्हें सभापति द्वारा नाम-निर्देशित किया जाता है। समिति का कार्यकाल तब तक होता है, जब तक एक नई समिति नाम-निर्देशित नहीं हो जाती है। समिति में सामान्य रिक्तियां राज्य सभा के सभापति द्वारा नाम-निर्देशन द्वारा भरी जाती हैं। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सभा के सभापति द्वारा समिति के सदस्यों में से की जाती है। यदि राज्य सभा के उपसभापति समिति के सदस्य होते हैं, तो उन्हें समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

समिति का मुख्य कार्य इस बात पर विचार करना और जांच करना तथा सदन को इस बारे में सूचित करना है कि क्या संविधान अथवा संसद के किसी कानून द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग संविधान अथवा संबंधित कानून के ढांचे के भीतर उपयुक्त रूप से किया गया है अथवा नहीं। हालांकि मोटे तौर पर समिति के लिये यही दिशा-निर्देश है फिर भी इसके साथ-साथ समिति को राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन विषयक नियमों के नियम 209 के अनुसार, किसी नियम अथवा विनियम के निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष ध्यान देना होता है:

(i) क्या यह संविधान के उपबंधों अथवा उस अधिनियम के अनुरूप है, जिसके अनुसरण में यह बनाया गया है;

(ii) क्या इसमें ऐसा विषय अन्तर्विष्ट है जिसे समिति की राय में संसद के किसी अधिनियम द्वारा अधिक समुचित ढंग से निपटाया जाना चाहिये;

(iii) क्या इसमें कोई कर अधिरोपण अन्तर्विष्ट है;

(iv) क्या यह न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रोक लगाता है;

(v) क्या यह उन उपबंधों से किसी को भूतलक्षी प्रभाव देता है जिसके बारे में संविधान अथवा अधिनियम में स्पष्ट रूप से ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की गयी है;

(vi) क्या इसमें भारत की संचित निधि अथवा लोक राजस्व में से व्यय अंतर्ग्रस्त है;

(vii) क्या इससे संविधान अथवा उस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का, जिसके अनुसरण में यह बनाया गया है, असामान्य अथवा अप्रत्याशित उपयोग किया गया प्रतीत होता है;

(viii) क्या इसके प्रकाशन में या उसे संसद के समक्ष रखे जाने में अनुचित विलंब हुआ प्रतीत होता है; और

(ix) क्या किसी कारण से इसके स्वरूप या अभिप्राय के विशदीकरण की आवश्यकता है।

नियम 209 के अतिरिक्त, राज्य सभा के सभापति द्वारा नियम 266 के तहत दिये गये निम्नलिखित निदेशों ने इस समिति के कार्य-क्षेत्र को व्यापक बना दिया है:–

(1) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ऐसे सभी आदेशों की, चाहे वे सभा के समक्ष रखे गये हों या नहीं, जांच कर सकेगी जो संविधान या आदेश बनाने वाले अधीनस्थ प्राधिकरण को शक्ति प्रत्यायोजित करने वाले कानून के उपबंधों के अनुसरण में बनाये गये हों।

(2) समिति उन विधेयकों के उपबंधों की जांच कर सकेगी जो–

(i) 'आदेश' बनाने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन करते हैं; अथवा

(ii) ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने वाले पूर्ववर्ती अधिनियमों में संशोधन करना चाहते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या 'आदेशों' को राज्य सभा के समक्ष रखे जाने हेतु उपयुक्त प्रावधान किये गये अथवा नहीं।

(3) समिति किसी 'आदेश' से संबंधित किसी अन्य मामले अथवा उससे उत्पन्न अधीनस्थ विधान के किसी मामले की जांच कर सकेगी।

अत: समिति राज्य सभा में पुर:स्थापित अथवा सभा के पटल पर रखे गये विधेयकों की संवीक्षा इस बात को देखने के लिये करती है कि क्या इनके अधीन बनाये गये नियमों, विनियमों आदि को सभा पटल पर रखे जाने संबंधी प्रावधान बनाये गये हैं या नहीं।

सभा के पटल पर रखे गये अथवा भारत के राजपत्र में प्रकाशित प्रत्येक नियम, विनियम आदि की संवीक्षा की जाती है। यदि संवीक्षा के दौरान अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा नियम बनाने की शक्ति के प्रत्यायोजन के संबंध में कोई मुद्दे उठते हैं, तो संबंधित मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा जाता है और उसके बाद यह मामला एक ज्ञापन के रूप में समिति के समक्ष रखा जाता है जिसमें संबंधित नियम, जिसके बारे में आपत्ति उठायी गयी, आपत्ति उठाये जाने के कारणों तथा उन आपत्तियों पर मंत्रालय की टिप्पणियों अथवा स्पष्टीकरण जैसे ब्यौरे होते हैं। समिति संबंधित ज्ञापन पर विचार करती है और स्वयं अपने निष्कर्षों पर पहुंचती है। यदि समिति को और विशदीकरण की आवश्यकता होती है तो वह विशदीकरण लिखित रूप में अथवा संबंधित मंत्रालय के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होने के लिये आमंत्रित करके प्राप्त किया जाता है। इन सभी मामलों के ब्यौरे को समिति के प्रतिवेदन में शामिल किया जाता है।

राज्य सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति विगत 56 वर्षों से विद्यमान है और अब तक इसने सभा के समक्ष 240 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं। इन

प्रतिवेदनों से समिति द्वारा, न केवल अधीनस्थ विधान के स्वरूप अथवा इसका प्रारूप तैयार करने में सुधार लाने बल्कि इसके, और विशेष रूप से इन नियमों की जो ऐसा प्रतीत होता है कि नागरिकों के अधिकारों पर असर डालते हैं, विषय-वस्तु के बारे में भी किये गये कतिपय उल्लेखनीय योगदान का पता चलता है। समिति द्वारा की गयी अनेक सिफारिशों के आधार पर कानूनों में संशोधन भी किये गये हैं। समिति अपनी विभिन्न सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही अथवा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में राज्य सभा को समय-समय पर सूचित भी करती रहती है।

समिति ने अपनी स्थापना के बाद निम्नलिखित कार्य किया:–

वर्ष	आयोजित बैठकें	प्रस्तुत प्रतिवेदन
1964	1	–
1965	1	–
1966	1	1
1967	5	2
1968	5	2
1969	10	2
1970	6	1
1971	14	3
1972	10	2
1973	8	2
1974	10	2
1975	17	1
1976	14	4
1977	12	4

वर्ष	आयोजित बैठकें	प्रस्तुत प्रतिवेदन
1978	23	4
1979	54	2
1980	37	12
1981	56	4
1982	35	2
1983	38	8
1984	25	6
1985	23	4
1986	28	2
1987	20	4
1988	21	2
1989	13	3
1990	11	5
1991	15	9
1992	21	5
1993	15	2
1994	14	3
1995	12	9
1996	0	–
1997	5	3
1998	16	8
1999	13	3

वर्ष	आयोजित बैठकें	प्रस्तुत प्रतिवेदन
2000	11	5
2001	13	6
2002	10	8
2003	11	6
2004	8	3
2005	14	7
2006	14	5
2007	12	6
2008	10	6
2009	14	8
2010	9	3
2011	18	7
2012	9	7
2013	12	9
2014	8	9
2015	16	5
2016	12	4
2017	12	4
2018	7	2
2019	9	5
2020 (मई तक)	4	2

सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति

सभा पटल पर पत्रों को रखने की परिपाटी बहुत लंबे समय से चली आ रही है। सभा पटल पर विविध प्रकार के पत्र रखे जाते हैं। कुछ केन्द्रीय अधिनियमों में, विधान बनाने की प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करके सरकार द्वारा बनाये गये नियमों सहित स्वायत्तशासी निकायों, सरकारी कंपनियों आदि के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं जैसे कुछ दस्तावेजों को सभा पटल पर रखे जाने के संबंध में विशिष्ट उपबंध विद्यमान हैं। कभी-कभी सरकार स्वयं ही महत्वपूर्ण प्रतिवेदन, करार और अन्य पत्रों को, जिन्हें वह समझती है कि संसद की जानकारी में लाया जाना चाहिये, सभा पटल पर रखती है।

पूर्व में सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी सभी मामलों, जैसे किसी पत्र को रखने में विलम्ब हुआ है और क्या पत्र को रखे जाने में सांविधिक उपबंधों का पालन किया गया है अथवा क्या जिन पत्रों को सभा पटल पर रखा जाना अपेक्षित था, वे वास्तव में रखे गये हैं और क्या किसी पत्र के हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों रूपान्तर रखे गये हैं जैसे मुद्दों की जांच करने तथा इन मुद्दों को सभा में उठाने की जिम्मेवारी व्यक्तिगत रूप से सदस्यों पर छोड़ दी जाती थी। दिन-प्रतिदिन सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों की भारी मात्रा तथा उनकी विविधता के मद्देनज़र और इस तथ्य के कारण भी कि सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र जांच के लिए सदस्यों को अग्रिम रूप से उपलब्ध नहीं हो पाते थे, सदस्यों के लिये सभा पटल पर रखे गये पत्रों के सभी पहलुओं पर निगरानी कर पाना सदैव संभव नहीं हो पाता था। सभा भी पटल पर रखे गये प्रत्येक दस्तावेज की सूक्ष्म जांच करने की स्थिति में नहीं थी।

इसी पृष्ठभूमि में, सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति को गठित करने की आवश्यकता महसूस की गयी और नियम समिति ने 22 मई, 1979 को राज्य सभा में प्रस्तुत किये गये अपने दूसरे प्रतिवेदन में सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति के गठन की सिफारिश की। राज्य सभा द्वारा उक्त प्रतिवेदन पर 24 दिसम्बर, 1981 को सहमति दी गयी। नियमों में संशोधन 15 जनवरी, 1982 से लागू हुए। राज्य सभा के प्रक्रिया तथा

कार्य-संचालन विषयक नियमों में समिति के गठन तथा कार्यों से संबंधित नियमों, अर्थात् नियम 212ज से 212ण को सम्मिलित करते समय यह उपबंध भी किया गया है कि यदि कोई सदस्य किसी ऐसे मामले को उठाना चाहता है, जो इस समिति के कार्य क्षेत्र के अधीन है तो वह उस मामले को सभा में न उठाकर समिति के पास भेजेगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति का गठन पहली बार 3 मार्च, 1982 को किया गया था। इसमें 10 सदस्य होते हैं जो सभापति द्वारा नाम-निर्देशित किये जाते हैं। इसका सामान्य कार्यकाल एक वर्ष का होता है परन्तु यह नई समिति के गठित किये जाने तक कार्य करती रहती है। राज्य सभा के सभापति समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। यदि उपसभापति समिति के एक सदस्य होते हैं तो उन्हें समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

मंत्री द्वारा किसी पत्र को राज्य सभा के समक्ष रखे जाने के बाद समिति विचार करती है कि:-

(क) क्या संविधान के उन उपबंधों अथवा संसद के किसी अधिनियम अथवा किसी अन्य विधि, नियम, विनियमन का अनुपालन हुआ है जिसके अनुसरण में पत्र विशेष को सभा पटल पर रखा गया है;

(ख) क्या पत्र को सभा पटल पर रखने में कोई अनुचित विलम्ब हुआ है और यदि हां, तो (i) क्या इस प्रकार के विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण भी पत्र के साथ-साथ सभा पटल पर रखा गया है, और (ii) क्या वे कारण संतोषजनक हैं; और

(ग) क्या पत्र को सभा पटल पर अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में रखा गया है और यदि नहीं, तो (i) क्या पत्र को हिन्दी में न रखने के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण भी पत्र के साथ-साथ सभा पटल पर रखा गया है, और (ii) क्या वे कारण संतोषजनक हैं।

समिति सभा पटल पर रखे गये पत्रों के संबंध में ऐसे अन्य कार्य भी करती है जो इसे सभापति द्वारा, समय-समय पर सौंपे जाते हैं।

यदि समिति अपने कर्त्तव्य पालन के लिए व्यक्तियों के साक्ष्य अथवा पत्र अथवा अभिलेख प्रस्तुत कराना आवश्यक समझे तो उसे ऐसा करने की शक्ति प्राप्त है। समिति के सामने दिये गये किसी साक्ष्य को गुप्त या गोपनीय मानने की बात समिति के स्वविवेक पर निर्भर करती है।

समिति ने गठन के तुरन्त बाद केन्द्रीय सरकार के अधीन विभिन्न संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा सांविधिक निगमों, केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित समितियों या सहकारी संस्थाओं, संयुक्त उपक्रमों, स्वायत्त निकायों तथा ऐसे सभी अनुदानग्राही संगठनों, जिनके लिए सरकार द्वारा 50 लाख रुपए इससे अधिक की धनराशि के समुचित अनुदान प्रदान किए जाते हैं, के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं की जांच करने का असाधारण कार्य आरंभ किया और महत्वपूर्ण निहितार्थों वाली मूल्यवान सिफारिशें कीं जो 11 अगस्त, 1982 को सदन में प्रस्तुत किए गए पहले प्रतिवेदन और अनुवर्ती प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट हैं। इसकी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं:

(i) सार्वजनिक उपक्रमों, कंपनियों/समितियों आदि के प्रतिवेदन, जो सदन के पटल पर रखे जाते हैं, उसमें वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे, नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां जहाँ भी दी गई हों, लेखापरीक्षक की समुक्तियों तथा नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों व समीक्षा का उत्तर शामिल होना चाहिए। सरकारी कंपनियों के संबंध में धारा 619क के तहत सरकार का प्रतिवेदन और ऐसी अन्य संस्थाओं के संबंध में समीक्षा जिसके लिए सरकार द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, और सरकारी कम्पनी/संगठन का वार्षिक बजट संसद में प्रस्तुत किया जाए। (पैरा 28, पहला प्रतिवेदन)

(ii) वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को समीक्षा विवरणों और विलंब के कारणों को दर्शाने वाले विवरणों, यदि कोई हो,

के साथ सदन के पटल पर रखा जाए ताकि संसद को एक निश्चित समय पर संगठन के कामकाज की पूर्ण और निष्पक्ष जानकारी मिल सके। (पैरा 3.17, इक्कीसवां प्रतिवेदन)

(iii) विलंब के कारणों को दर्शाने वाले विवरण में कालक्रमानुसार निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए: लेखाओं के संकलन की तारीख, उन्हें लेखापरीक्षक को प्रस्तुत करने की तारीख, प्रारूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति की तारीख, लेखापरीक्षा प्रश्नों के उत्तर दिए जाने की तारीख, अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की तारीख, लेखाओं के अनुवाद और मुद्रण की तारीख और सदन के पटल पर रखने के लिए उन्हें मंत्रालय को प्रस्तुत करने की तारीख, ताकि सदन विलंब के चरणों, कारणों और सीमा की पहचान कर सके और आवश्यकता पड़ने पर उपचारात्मक उपायों का सुझाव दे सके। (पैरा 3.17, बाईसवां प्रतिवेदन)

(iv) समिति ने यह मत प्रकट किया कि संसदीय निदेशों के कार्यान्वयन के रास्ते में किसी भी नियम या विनियम को बाधक नहीं बनने देना चाहिए। तदनुसार, समिति ने आयोग के प्रबंधकों और मंत्रालय के प्रतिनिधियों को निदेश दिया कि वे आयोग (तेल और प्राकृतिक गैस आयोग) के संबंधित नियमों में संशोधन करें ताकि पत्रों को सभा पटल पर रखने के संबंध में वे संसदीय निदेश का पालन कर सकें। समिति ने यह भी इच्छा प्रकट की कि नियंत्रक महालेखापरीक्षक से भी परामर्श किया जाना चाहिए ताकि इस काम के लिए एक सुविधाजनक समय-सारणी बनाई जा सके। (पैरा 4.12, उनचासवां प्रतिवेदन)

(v) समिति यह समुक्ति करती है कि संगठन के कार्य-निष्पादन की मंत्रालय द्वारा की गई समीक्षा नेमी ब्यौरा होने के बजाए विश्लेषणात्मक होनी चाहिए। समिति यह सिफारिश करती है कि

मंत्रालय को संगठन के वित्तीय और प्रकार्यात्मक कार्य-निष्पादन पर टिप्पणी करनी चाहिए और निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों की तुलना में संगठन की उपलब्धियों से अवगत कराना चाहिए। समिति यह महसूस करती है कि मंत्रालय को अपनी समीक्षा में यह प्रमाणित करने की स्थिति में होना चाहिए कि प्रस्तुत किए गए पत्र संगठन की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। (पैरा 7, एक सौ बाईसवां प्रतिवेदन)

समिति सभा के समक्ष अब तक 159 प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुकी है।

1982 में समिति के अस्तित्व में आने के पश्चात् इसके द्वारा की गई बैठकों की संख्या/प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों का वर्षवार विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:–

वर्ष	बैठकों की संख्या	प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या
1982	20	5
1983	35	6
1984	26	5
1985	20	7
1986	16	6
1987	16	5
1988	10	1
1989	11	3
1990	15	–
1991	26	3
1992	26	4
1993	14	5

वर्ष	बैठकों की संख्या	प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या
1994	24	3
1995	18	–
1996	5	1
1997	7	2
1998	15	12
1999	19	4
2000	5	3
2001	5	3
2002	9	8
2003	8	7
2004	8	3
2005	12	3
2006	7	6
2007	7	4
2008	6	8
2009	6	4
2010	11	3
2011	19	15
2012	11	3
2013	6	2
2014	4	1
2015	8	2

वर्ष	बैठकों की संख्या	प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या
2016	9	4
2017	8	3
2018	15	3
2019	7	3
2020 (मार्च तक)	3	1

कार्य-मंत्रणा समिति

संसदीय कार्य की मात्रा और राज्य सभा में समय की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सदन के कार्य को नियोजित करना आवश्यक हो जाता है ताकि चर्चा/वाद-विवाद, विचार-विमर्श आदि के लिए समय का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इसी प्रयोजन से विधायी और अन्य कार्य के लिए समय आबंटित करने के लिए सदन की एक समिति गठित करना अनिवार्य समझा गया और तदनुसार, कार्य-मंत्रणा समिति गठित की गई।

संघटन

समिति का गठन राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों के नियम 30(1) के अधीन किया जाता है। कार्य-मंत्रणा समिति पहली बार राज्य सभा में 4 अगस्त, 1952 को गठित की गई थी। इसमें राज्य सभा के सभापति तथा उपसभापति सहित 11 सदस्य हैं। समिति का कार्यकाल तब तक चलता रहता है जब तक कि प्रत्येक वर्ष नई समिति का गठन न हो जाए। सामान्यतः, समिति का प्रत्येक वर्ष पुनर्गठन किया जाता है। राज्य सभा के सभापति, इस समिति के अध्यक्ष होते हैं और, यदि सभापति किसी कारण से समिति की बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ हों, तो राज्य सभा के उपसभापति उस बैठक के लिए अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते हैं। यदि सभापति और उपसभापति, जैसा भी मामला हो, किसी कारण से किसी बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ हों, तो समिति किसी अन्य सदस्य को उस बैठक के लिए अध्यक्ष के तौर पर कार्य हेतु चुन सकती है। राज्य सभा के सभापति समिति में हुई आकस्मिक रिक्तियों को भरते हैं। समिति, नई समिति के नाम-निर्देशित होने तक कार्य करती रहती है। समिति की गणपूर्ति पांच है।

विशेष आमंत्रित सदस्य

समिति की सीमित सदस्यता को ध्यान में रखते हुए, सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक दल और समूह के सदस्य को समिति में शामिल कर पाना

संभव नहीं है। समिति को यथासंभव व्यापक आधार देने के लिए ताकि इसकी सिफारिशें सभा के सभा वर्गों को स्वीकार्य हो सकें, ऐसे दल/समूह, जिनकी संख्या चार या उससे अधिक हो और यदि उनका समिति में प्रतिनिधित्व नहीं है, के नेताओं को भी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए "विशेष आमंत्रित सदस्यों" के रूप में आमंत्रित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उपसभापतियों के पैनल के सदस्यों, सभा के नेता, विपक्ष के नेता और संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रभारी मंत्री/मंत्रियों को भी, यदि वे समिति के सदस्य पहले से नहीं हों, समिति के विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए "विशेष आमंत्रित सदस्यों" के रूप में आमंत्रित किया जाता है। लेकिन इन "विशेष आमंत्रित सदस्यों" को मतदान का अधिकार नहीं होता और न ही समिति के गणपूर्ति के प्रयोजन से उनकी गिनती की जाती है। मंत्रियों, संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रभारी मंत्री को आमंत्रित करने का उद्देश्य सरकारी कार्य के लिए समय का आबंटन करते समय सरकारी कार्य के संबंध में सरकार के विचार जानना है। इसलिए, समिति के विचार-विमर्शों में संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वह समिति को सभा के समक्ष सरकार द्वारा लाए जाने वाले प्रस्तावित विधायी प्रस्तावों और चर्चा के लिए उनकी वरीयता के बारे में सूचित भी करते हैं।

कार्य

समिति सरकारी विधेयकों के प्रक्रम या प्रक्रमों तथा अन्य किसी कार्य पर चर्चा करने हेतु समय के आवंटन के संबंध में सिफारिश करती है। समिति समय के प्रस्तावित आबंटन में उन घंटों का उल्लेख भी करती है जब विधेयक या विधेयकों के चरणों को पूरा किया जाना है। समिति ऐसे अन्य कार्य भी करती है जिन्हें सभापति द्वारा उसे सौंपा जाता है।

प्रक्रिया नियमों के नियम 14 के अनुसार सभापति, संविधान के अनुच्छेद 87 के खंड (1) के अधीन संसद की सभाओं के सामने दिये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित विषयों पर चर्चा के लिए, राज्य सभा के नेता के परामर्श से समय आबंटित करेगा। लेकिन वास्तव में कार्य मंत्रणा समिति राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय के आवंटन की सिफारिश करती है।

इसके अतिरिक्त, चूंकि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर राज्य सभा में चर्चा नहीं होती है, इसलिए उनके कार्यकरण पर चर्चा होती है। कार्य मंत्रणा समिति न केवल ऐसे मंत्रालयों/विभागों के नाम की सिफारिश करती है जिनके कार्यकरण पर सभा द्वारा चर्चा की जा सकती है अपितु उनके लिए समय भी आबंटित करती है और प्रत्येक मंत्रालय के संबंध में चर्चा आरंभ करने वाले दल का निर्धारण भी करती है और उस क्रम का निर्धारण भी करती है जिसमें उन पर सभा में विचार किया जाना है।

इसके अतिरिक्त, सभा के देर तक बैठने, प्रश्नकाल या मध्याह्न भोजनावकाश को समाप्त करने, अतिरिक्त बैठक (बैठकें) नियत करने/बैठकों को रद्द करने और छुट्टी के दिन बैठकें नियत करने के प्रस्तावों को भी आमतौर पर समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाता है। कार्य की विभिन्न मदों के लिए समय के आवंटन पर विचार करते समय समिति कुछ बातों पर ध्यान देती है जैसे (i) विधेयक का आकार और महत्व; (ii) विषय के प्रति सदस्यों द्वारा दिखाई गई सामान्य इच्छा और दिलचस्पी; (iii) विगत में या दूसरी सभा में इसी प्रकार के मामलों के लिए लिया गया समय; और (iv) सभा के पास उपलब्ध कुल समय।

समिति यह भी सिफारिश कर सकती है कि सभा महत्वपूर्ण सरकारी विधायी और अन्य कार्य पूरे करने के लिए किसी शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को रद्द करे और गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए उसी सप्ताह या अगले सप्ताह या अगले सत्र के किसी दिन में समय आबंटित करे। समिति शुक्रवार को गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को किसी अन्य समय और दिन के लिए स्थानांतरित भी कर सकती है।

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें केवल सिफारिश स्वरूप की होती हैं और समिति द्वारा चर्चा के लिए संस्तुत कोई प्रस्ताव उस मामले में लागू अन्य नियमों के अधीन होता हैं

बैठकें

आरंभिक वर्षों में, समिति की बैठक तभी होती थी जब उससे सरकारी विधान एवं कार्य के लिए समय आवंटित करने का अनुरोध किया जाता था। लेकिन, वर्तमान में समिति की बैठक सामान्यतया सत्र के पहले दिन और

उसके बाद सत्र के दौरान सरकारी विधान और अन्य कार्य के लिए समय का आबंटन करने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए अनुरोध को देखते हुए प्रत्येक सप्ताह बृहस्पतिवार या अन्य किसी दिन को होती है, यद्यपि यह सभापति को सुविधानुसार आयोजित होती है। बैठक के संबंध में एक सूचना समिति की बैठक से एक दिन पूर्व जारी की जाती है! संसदीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त सरकारी विधान एवं अन्य कार्यों के ब्यौरे, जिनके लिए समय आवंटित किया जाना होता है, के आधार पर बैठक की एक कार्य सूची तैयार की जाती है और उसे बैठक के समय समिति के समक्ष रखा जाता है।

सूचना

प्रक्रिया नियमों के नियम 34 और 35 के अधीन समिति द्वारा अनुशंसित समय का नियतन सभापति अथवा उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति द्वारा राज्य सभा को सूचित कर दिया जाएगा और संसदीय समाचार में अधिसूचित किया जाएगा। इतना ही नहीं, समिति की सिफारिशों से सहमति का प्रस्ताव उपस्थित किया जाएगा और सदस्य समिति की सिफारिशों में संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में समिति के प्रारंभ से ही यह परिपाटी रही है कि समिति की सिफारिशों की सूचना आमतौर पर समिति की बैठक के दिन ही या उससे अगले दिन सभापीठ द्वारा घोषणा करके सभा को दी जाती है। इस घोषणा को उस दिन के संसदीय समाचार, भाग–2 में अधिसूचित कर दिया जाता है। इस घोषणा को अंतिम मान लिया जाता है और उनके बारे में कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं लाया जाता है।

समिति के निर्णयों को समिति के कार्यवृत्तों में अंतर्विष्ट किया जाता है और उन्हें सदस्यों और विशेष आमंत्रित सदस्यों और ऐसे अन्य सदस्यों को परिचालित किया जाता है जो समिति की उस बैठक में उपस्थित रहे हों।

नियम समिति

भारत के संविधान के अनुच्छेद 118(1) में यह उपबंध है कि संसद की प्रत्येक सभा संविधान के उपबंधों के अध्यधीन, अपनी प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन को विनियमित करने के लिये नियम बना सकेगी। पूर्वोक्त अनुच्छेद के खण्ड (2) में यह उपबंध भी किया गया है कि जब तक खण्ड (1) के अधीन नियम नहीं बनाये जाते, तब तक इस संविधान के लागू होने से तत्काल पूर्व भारत के विधान-मंडल के संबंध में जो प्रक्रिया संबंधी नियम तथा स्थायी आदेश लागू थे, वही संसद के संबंध में भी लागू होंगे, परंतु उनमें राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष जैसा भी मामला हो, के द्वारा आवश्यक उपांतरण या परिवर्तन किये जा सकते हैं।

मई, 1952 में राज्य सभा की स्थापना के समय प्रक्रिया संबंधी इसके अपने कोई नियम नहीं थे। राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन को विनियमित करने के लिये, राज्य सभा के सभापति ने, संविधान के अनुच्छेद 118(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान लागू होने के तत्काल पूर्व प्रवृत्त संविधान सभा (विधायी) प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमों में कुछ उपांतरण करके उन्हें स्वीकृत कर लिया। ये नियम लगातार 12 वर्ष तक राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन को विनियमित करते रहे। जब 1964 में इनके स्थान पर नए नियम लागू किए गए।

राज्य सभा की पहली नियम समिति को 22 मई, 1952 को गठित किया गया था। इसमें राज्य सभा के सभापति सहित, जो समिति के पदेन अध्यक्ष थे, 14 सदस्य थे। समिति ने 1954 तक पांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किए, जिसमें पुराने नियमों को संशोधित किया गया और सभापति द्वारा स्वीकार किया गया, और ये संशोधित नियम 1964 में नए नियमों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक राज्य सभा के आचरण और प्रक्रिया को विनियमित करते रहे।

राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों को विनियमित करने के लिए प्रारूप नियमों की सिफारिश करने हेतु 1962 में एक तदर्थ

समिति गठित की गयी थी। प्रारूप नियमों की सिफारिश करने वाली समिति का प्रतिवेदन 29 नवम्बर, 1963 को सभा में प्रस्तुत किया गया। 27 मई, 1964 को सभा में उपस्थित किये गये एक प्रस्ताव पर सभा ने 2 जून, 1964 को यथा संशोधित नियम स्वीकृत किये। ये नियम 1 जुलाई, 1964 से प्रवृत्त हुए। इन नियमों के अधीन पहली बार राज्य सभा में अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों के संबंध में ध्यानाकर्षण तथा अल्पकालिक चर्चा संबंधी प्रक्रियाएं आरंभ की गयीं। इन नियमों के अधीन अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का भी गठन किया गया। याचिका समिति के अधिकार क्षेत्र में भी विस्तार किया गया। नई नियम समिति के पहले प्रतिवेदन के आधार पर 1972 में सभा ने इन नियमों में कुछ और उपांतरण किये। उनके अनुसरण में, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का गठन किया गया।

नई नियम समिति ने अपना दूसरा तथा तीसरा प्रतिवेदन क्रमशः 2 मई, 1979 और 2 दिसम्बर, 1981 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया। इन दोनों प्रतिवेदनों पर राज्य सभा ने 24 दिसम्बर, 1981 को हुई अपनी बैठक में सहमति प्रकट की। इन दोनों प्रतिवेदनों के आधार पर, नियमों में और उपांतरण किये गये तथा अन्य संशोधनों के साथ-साथ, इनमें जो-जो महत्वपूर्ण संशोधन किये गये वे ये हैं:- (i) सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति का गठन; (ii) कार्य मंत्रणा समिति और नियम समिति में उपसभापति को एक सदस्य के रूप में शामिल किया जाना; (iii) यदि शुक्रवार को सभा की बैठक न हो, तो गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को सप्ताह के किसी अन्य दिन लिया जाना; और (iv) गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए कार्य मंत्रणा समिति द्वारा उसी प्रकार से समय का आवंटन किया जाना जिस प्रकार से वह सरकारी कार्य के लिये करती है।

नियम समिति का चौथा प्रतिवेदन 19 मार्च, 1986 को सभा में प्रस्तुत किया गया था और उसे 14 मई, 1986 को स्वीकृत किया गया। इस प्रतिवेदन के आधार पर गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को पूर्विकता संबंधी नियम 25(3), गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों अथवा संकल्प पर

स्थगित वाद-विवाद को पुनरारंभ किये जाने संबंधी नियम 28(2) इत्यादि को संशोधित किया गया था और आवास समिति से संबंधित 212त से 212उ तक नये नियमों को 1 जुलाई, 1986 को अंतर्विष्ट कर लिया गया था।

नियम समिति का पांचवां प्रतिवेदन सभा में 19 अगस्त, 1992 को प्रस्तुत किया गया और 20 अगस्त, 1992 को स्वीकृत किया गया। इस प्रतिवेदन के आधार पर राज्य सभा में तीन विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियां गठित की गईं, अर्थात् (i) मानव संसाधन विकास; (ii) उद्योग; और (iii) श्रम। ऐसी संसदीय समितियों की पूर्ण प्रणाली तब और विकसित की गई जब नियम समिति ने 24 मार्च, 1993 को अपना छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसे 29 मार्च, 1993 को स्वीकृत किया गया। इस प्रतिवेदन के आधार पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित 17 विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का गठन करके एक पूर्ण प्रणाली विकसित की गई। इस प्रयोजनार्थ नए नियम 268 से 277 तक तथा तीसरी अनुसूची राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों में जोड़े गए। समिति का सातवां प्रतिवेदन सभा में 19 फरवरी, 1995 को प्रस्तुत किया गया और 30 मई, 1995 को स्वीकृत किया गया। इस प्रतिवेदन के आधार पर प्रश्नों की सूचना की अवधि को पूरे 10 दिन से बढ़ाकर पूरे 15 दिन कर दिया गया। प्रश्नों में शब्दों की सीमा 150 शब्द से घटाकर 100 शब्द कर दी गई। मौखिक और लिखित उत्तर के लिए प्रश्नों की सीमा भी नए नियम 51क को अंतर्विष्ट करके निर्धारित कर दी गई।

समिति का आठवां प्रतिवेदन 12 मई, 2006 को सभा में प्रस्तुत किया गया और 15 मई, 2000 को स्वीकृत किया गया। इस प्रतिवेदन के आधार पर इस प्रयोजनार्थ प्रक्रिया संबंधी नियमों में नये नियम 180(क) से 180(ङ) तक के माध्यम से विशेष उल्लेख को अंतर्विष्ट कर दिया गया है। राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों में सामान्य प्रयोजन समिति को शामिल किया गया और इस प्रयोजनार्थ 278 से 285 तक नए नियम शामिल किये गये। इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव के संबंध में नियम 169 में (ix) से (xviii) तक नए उपखंडों को जोड़ा गया और नियम को स्थगित करने हेतु प्रस्ताव संबंधी नियम 267 संशोधित किया गया।

समिति का नौवां प्रतिवेदन सभा में 20 जुलाई, 2004 को प्रस्तुत किया गया। इस प्रतिवेदन में समिति ने आचार समिति से संबंधित नियमों को राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों के संग्रह में अंतर्विष्ट करने की सिफारिश की। तद्नुसार इस प्रयोजनार्थ एक नया अध्याय अर्थात् अध्याय 24, जिसमें आचार समिति से संबंधित नए नियम 286-303 अंतर्विष्ट हैं, इसमें जोड़ दिया गया। इसके अलावा, समिति ने आवास समिति की सदस्य संख्या को 7 से बढ़ाकर 10 करने के लिए नियम 212(थ)(1) में संशोधन की सिफारिश भी की।

समिति का दसवां प्रतिवेदन राज्य सभा में 20 जुलाई, 2004 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें समिति ने विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार किया और सात नई समितियों, नामत: (i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण; (ii) कार्मिक, लोक शिकायत तथा विधि और न्याय; (iii) जल संसाधन; (iv) रसायन और उर्वरक; (v) ग्रामीण विकास; (vi) कोयला और इस्पात; और (vii) सामाजिक न्याय और अधिकारिता के सृजन का सुझाव दिया। इन सात समितियों में से दो समितियां, नामत: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा कार्मिक और लोक शिकायत तथा विधि और न्याय को राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों की तीसरी अनुसूची के भाग-1 में रखने की सिफारिश की गई थी। समिति ने इन समितियों के सदस्यों की अधिकतम संख्या को 45 से घटाकर 31 सदस्य करने का सुझाव भी दिया, जिनमें से 10 सदस्य राज्य सभा के होंगे और 21 लोक सभा के होंगे, तद्नुसार, समिति ने राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों के नियम 269(1) तथा तीसरी अनुसूची में संशोधनों की सिफारिश की।

ऊपर उल्लिखित नौवें और दसवें प्रतिवेदन को सभा में 20 जुलाई, 2004 को स्वीकार किया गया। नियमों में संशोधनों को सभापति द्वारा उसी दिन से प्रवृत्त कर दिया गया।

समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन सभा में 8 दिसम्बर, 2006 को प्रस्तुत किया गया और 12 दिसंबर, 2006 को स्वीकार किया गया। इस प्रतिवेदन

के आधार पर राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों के नियम 252 को संशोधित किया गया जिसमें मत विभाजन की घंटी का समय दो मिनट से बढ़ाकर तीन मिनट तीस सेकंड कर दिया गया। साथ ही साथ इस प्रतिवेदन के आधार पर उन मंत्रियों को जो राज्य सभा के सदस्य नहीं हैं, सभा में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण की अनुमति देने संबंधी नियम 241 संशोधित किया गया।

समिति का बारहवां प्रतिवेदन सभा में 14 दिसंबर, 2009 को प्रस्तुत किया गया और 15 दिसंबर, 2009 को स्वीकार किया गया। समिति ने इस प्रतिवेदन में नियम 43 में संशोधन करने की सिफारिश की ताकि सदस्य द्वारा पूछा गया केवल एक तारांकित प्रश्न, तारांकित सूची में रखा जा सके और तारांकित सूची में प्रत्येक प्रश्न, बैलेट में सदस्य के नाम की स्थिति के आधार पर ही उनके नाम पर होगा। समिति ने यह भी सिफारिश की कि नियम 54(3) में संशोधन किया जाए ताकि किसी अनुपस्थित सदस्य के प्रश्न का उत्तर तारांकित सूची में उसकी प्राथमिकता के स्थान के अनुसार, सभापति के निर्देश पर दिया जा सके जो कि पूर्व की परिपाटी के विपरीत है, जब अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्न दूसरे दौर में ही लिये जाते थे। इन संशोधनों के फलस्वरूप, समिति ने नियम 55 का लोप करने की सिफारिश की।

समिति का तेरहवां और अद्यतन प्रतिवेदन 25 नवम्बर, 2014 को सभा में प्रस्तुत किया गया और इसे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों में संशोधन के साथ 26 नवम्बर, 2014 को स्वीकार किया गया। इस प्रतिवेदन का स्रोत विगत कुछ वर्षों में राज्य सभा की बैठकों जिनमें प्रश्न काल को विभिन्न कारणों से बार-बार बाधित किया गया, के दौरान एकत्रित सामान्य अनुभव थे। चूंकि प्रश्न काल संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक है और नाना प्रकार के कारणों से प्रश्न काल के दौरान व्यवधान से बचने हेतु नियम समिति ने 7 नवम्बर, 2014 को हुई अपनी बैठक में प्रश्न काल का समय मध्याह्न पूर्व 11 बजे से मध्याह्न 12 बजे के स्थान पर मध्याह्न 12 बजे से मध्याह्न पश्चात् 1 बजे तक करने के संबंध में राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों के

नियम 38 में संशोधनों की सिफारिश की। समिति ने मौखिक उत्तरों के लिए प्रश्नों की संख्या को उसकी वर्तमान संख्या 20 से घटाकर 15 करने के संबंध में नियम 51क में संशोधन तथा नियम 38 में संशोधन के परिणामस्वरूप ध्यानाकर्षण के मध्याह्न पश्चात् 5 बजे के समय के संबंध में नियम 180(5) में संशोधन की भी सिफारिश की। इस उपनियम में एक परंतुक की सिफारिश की गयी जो यह विनिर्दिष्ट करता है कि जिस दिन आधे घंटे की चर्चा की अनुमति प्रदान की गई है, उस दिन ऐसे किसी विषय की अनुमति नहीं दी जाएगी। 26 नवम्बर, 2014 को इस प्रतिवेदन पर विचार और इसे स्वीकार करने संबंधी प्रस्ताव सभा में उपस्थित किये गये। एक सदस्य द्वारा नियम 180(5) के संबंध में इस आशय से प्रस्ताव पर संशोधन उपस्थित किया गया कि सभा में ध्यानाकर्षण मध्याह्न पश्चात् 5 बजे के बजाय मध्याह्न पश्चात् 2 बजे प्रारंभ होगाा। जैसा कि इस प्रतिवेदन में नियम समिति द्वारा सिफारिश की गई थी। इसी सदस्य द्वारा नियम 180 के उपनियम (5) में प्रस्तावित उपबंध को हटाने संबंधी दूसरा संशोधन उपस्थित किया गया। सभा ने इन्हीं संशोधनों के साथ प्रतिवेदन को स्वीकार किया।

आवास समिति

आवास समिति उन चार समितियों में से एक है जिन्हें 1952 में पहली बार गठित किया गया था। लेकिन 1986 तक राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन विषयक नियमों में इसका उल्लेख नहीं था। नियम समिति ने मार्च 1986 में सभा में प्रस्तुत किए गए अपने चौथे प्रतिवेदन में प्रक्रिया नियमों में आवास समिति के संबंध में नए नियमों 212त और 212ब को अंतर्विष्ट करने वाले एक नये अध्याय, अर्थात अध्याय XVII–ग को शामिल किया।

समिति में 10 सदस्य होते हैं, जोकि राज्य सभा के सभापति द्वारा नाम–निर्देशित किये जाते हैं। समिति अगली समिति के नाम–निर्देशित किये जाने तक कार्य करती है। समिति का अध्यक्ष राज्य सभा के सभापति द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है। समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होती है। इससे पहले राज्य सभा के सभापति ने आवास समिति के गठन और कार्यकरण के संबंध में नियम बनाये थे।

आवास समिति के कार्य निम्नलिखित हैं: (क) राज्य सभा के सदस्यों को रिहायशी आवास के आवंटन संबंधी सभी पहलुओं पर विचार करना, और दिल्ली/नई दिल्ली के आवासों और होस्टलों में दी गयी सुविधाओं तथा अन्य सुख–सुविधाओं का पर्यवेक्षण करना; तथा (ख) सदस्यों को ऐसी सुविधाएं देने पर विचार करना और उन्हें प्रदान करना, जैसा कि समय–समय पर आवश्यक समझा जाए। दोनों सभाओं के समान हित वाले प्रस्तावों, सुझावों आदि पर दोनों सभाओं की आवास समितियों के अध्यक्षों द्वारा विचार किया जाता है और निर्णय लिया जाता है।

आवास समिति ने अपने अस्तित्व में आने के बाद से अब तक निम्नलिखित ग्यारह प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं। ग्यारहवें प्रतिवेदन के बाद कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रतिवेदन	विषय*	स्वीकृत करने की तारीख	सभा में प्रस्तुत करने की तारीख
पहला	प्रतिवेदन	06.08.1986	07.08.1986
दूसरा	प्रतिवेदन	23.12.1993	29.12.1993
तीसरा	प्रतिवेदन	14.12.1995	22.12.1995
चौथा	प्रतिवेदन	12.03.1997	14.03.1997
पांचवां	प्रतिवेदन	02.03.2000	07.03.2000
छठा	प्रतिवेदन	परिचालन द्वारा	09.08.2001
सातवां	डा. बी.डी. मार्ग में सदस्यों के लिए बहुमंजिले फ्लैटों में गैर–परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का अनुप्रयोग के संबंध में समिति के अध्ययन दौरे के संबंध में प्रतिवेदन	20.02.2002	07.03.2002
आठवां	वर्ष 2001 के दौरान समिति का कार्यनिष्पादन	07.08.2002	12.08.2002
नौवां	डा. बी.डी. मार्ग, नई दिल्ली में राज्य सभा के सदस्यों के लिए ब्रह्मपुत्र, एम.एस. फ्लैट्स के निर्माण की प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन	18.08.2003	19.08.2003
दसवां	वर्ष 2002 के दौरान समिति का कार्यनिष्पादन	18.08.2003	19.08.2003

*प्रथम छह प्रतिवेदन राज्य सभा के सदस्यों को उनके बंगलों/फ्लैटों में दी गई मूलभूत सुविधा/सुविधाओं से संबंधित हैं।

प्रतिवेदन	विषय	स्वीकृत करने की तारीख	सभा में प्रस्तुत करने की तारीख
ग्यारहवां	राज्य सभा पूल के बंगलों और राज्य सभा सदस्यों के लिए स्वर्ण जयंती सदन के फ्लैटों में सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम लगाने के संबंध में प्रतिवेदन	17.12.2003	18.12.2003

राज्य सभा के सदस्यों के लिए कम्प्यूटर उपस्करों का प्रावधान करने संबंधी समिति

सूचना प्रौद्योगिकी में हुई तीव्र प्रगति ने हमारे समाज के प्रत्येक क्षेत्र को बहुत प्रभावित किया है। संसदीय कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमान अनुप्रयोगों के उपयोग का अर्थ है संसदीय कार्यों का अधिक दक्ष और पारदर्शी निष्पादन किए जाने के लक्ष्य की ओर बढ़ना और सप्ताह में सातों दिन और दिन में चौबीसों घंटे संसदीय सूचनाओं और सेवाओं तक पहुंच को सुनिश्चित करना। एक प्रकार से इसमें संसद सदस्यों, सचिवालय के कर्मचारियों और मीडिया तथा आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सभा में कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई जिसमें सूचनाओं और सेवाओं को आसानी से, शीघ्रतापूर्वक, दक्षतापूर्वक और सस्ते में प्राप्त और प्रदान किए जाने के लिए इंटरनेट तथा अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया गया।

2. सदस्यों के संसदीय कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए उनके लिए कम्प्यूटरों का प्रावधान करने संबंधी मामले पर पहली बार राज्य सभा में सामान्य प्रयोजन समिति (जीपीसी) द्वारा इसकी दिनांक 14 फरवरी, 1995 को आयोजित बैठक में विचार किया गया। तत्पश्चात्, वर्ष 1995 में, वापसी आधार पर सदस्यों को उपलब्ध कराए जाने हेतु नोटबुक/लैपटॉप कम्प्यूटर खरीदे गए। तत्पश्चात्, सामान्य प्रयोजन समिति ने दिनांक 20 फरवरी, 1997 को आयोजित अपनी बैठक में सिफारिश की कि राज्य सभा के सदस्यों को कम्प्यूटरों की आपूर्ति इत्यादि से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए सदस्यों की एक समिति गठित की जाए और इसने ऐसी एक समिति के लिए सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिए राज्य सभा के माननीय सभापति को प्राधिकृत किया। तद्नुसार, दिनांक 18 मार्च, 1997 को राज्य सभा के माननीय सभापति द्वारा राज्य सभा के सदस्यों के

लिए कम्प्यूटर उपस्करों का प्रावधान करने संबंधी समिति* गठित की गई। राज्य सभा के माननीय सभापति इस समिति में नाम-निर्देशन द्वारा नैमित्तिक रिक्तियों को भरते हैं। राज्य सभा के उपसभापति या सभा का कोई वरिष्ठ सदस्य इस समिति के अध्यक्ष हैं।

3. वर्तमान में इस समिति में बारह सदस्य हैं जो राज्य सभा के सभापति द्वारा नाम-निर्देशित किए गए हैं। यह समिति कम्प्यूटरीकरण की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करने तथा राज्य सभा के कार्यकरण में विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकीय पहलों का मार्गदर्शन करने के लिए नियमित रूप से बैठक करती रही है। मोटे तौर पर, इस समिति के प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं:

(i) राज्य सभा के कार्यकरण में सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग संबंधी मापदंड तय करना;

(ii) सदस्यों को समय-समय पर उपलब्ध कराए जाने वाले कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रावधान करने संबंधी मानकों के संबंध में निर्णय लेना तथा सदस्यों को सूचना प्रौद्योगिकी साधनों के उपयोग में निपुण बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण सहित उपयुक्त उपाय करना; और

(iii) राज्य सभा में सूचना के प्रसार के इलेक्ट्रानिक माध्यम के प्रयोग में वृद्धि सुनिश्चित करना।

4. इस समिति को सचिवालयी सहायता सूचना प्रौद्योगिकी अनुभागों (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर) द्वारा प्रदान की जाती है और तकनीकी सहायता राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा और अधिक विशिष्ट रूप से एक स्थायी तकनीकी सलाहकार समिति (एसटीएसी) द्वारा, जिसमें सचिवालय और एनआईसी के अधिकारी सम्मिलित हैं, प्रदान की जाती है। यह समिति सदस्यों को उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी विभिन्न सुविधाएं तय करती है।

*जब इस समिति का पहली बार गठन हुआ था, इसे "राज्य सभा के सदस्यों के लिए कम्प्यूटरों का प्रावधान करने संबंधी समिति'' नाम दिया गया था। हालांकि, जब संशोधित नियम ''कम्प्यूटर उपकरण का प्रावधान (राज्य सभा के सदस्य और अधिकारी) नियम, 2008" बनाया गया, 'कम्प्यूटरों' शब्द को संशोधित करके 'कम्प्यूटर उपस्कर' कर दिया गया जिससे समिति का नाम ''राज्य सभा के सदस्यों के लिए कम्प्यूटर उपस्करों का प्रावधान करने संबंधी समिति'' हो गया।

5. राज्य सभा के सदस्यों के लिए कम्प्यूटर उपस्कर की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में, यह समिति वर्ष 2008 में, 'कम्प्यूटर उपस्कर का प्रावधान (राज्य सभा के सदस्य और अधिकारी) नियम, 2008' का अनुसरण करती है जिसको राज्य सभा के माननीय सभापति का अनुमोदन प्राप्त है। इसके बाद 10 अक्तूबर, 2014 को उक्त नियमों में संशोधन किया गया। इस समिति ने उल्लिखित नियमों के अंतर्गत कम्प्यूटर उपस्कर की खरीद को विनियमित करने के लिए एक प्रक्रिया भी तैयार की है। इन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ 'कम्प्यूटर उपस्कर के लिए राज्य सभा के सदस्यों की वित्तीय हकदारी योजना' का भी उपबंध है। इस योजना के अनुसार, सदस्य अपनी वित्तीय हकदारी का उपयोग करते हुए कम्प्यूटर उपस्कर (डेस्कटॉप और लैपटॉप कम्प्यूटर, ई-रीडर युक्तियां, पेन ड्राइव, प्रिंटर, स्कैनर, यूपीएस, हैंडहेल्ड कम्प्यूनिकैटर/कम्प्यूटर स्मार्टफोन, डेटा इंटरनेट कार्ड, एमएस ऑफिस स्यूट और भाषा सॉफ्टवेयर और आवाज पहचानने वाले सॉफ्टवेयर, कम्प्यूटर मॉनीटर और बाह्य हार्ड ड्राइव और अन्य लघु मदें, जैसे एंटी-वायरस सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप/लैपटॉप के साथ स्पीकर, टैंपर्ड ग्लास, फोन/ई-रीडर कवर, लैपटॉप बैग, कूलिंग पैड, एप्पल पेंसिल आई-पोड डिवाइस के साथ, ब्लूटूथ हैंडसेट, वारंटी एक्सटेंशन पैक आदि) खरीद सकते हैं।

6. (i) इस योजना के अधीन कम्प्यूटर उपस्कर और सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए किसी सदस्य की वित्तीय हकदारी निम्नलिखित होगी:

वर्तमान में उपलब्ध सुविधाएं निम्न प्रकार हैं:

(क) रुपये 2,00,000/-, यदि राज्य सभा के लिए उसका निर्वाचन/नाम-निर्देशन 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए हुआ हो।

(ख) रुपये 1,50,000/-, यदि राज्य सभा के लिए उसका निर्वाचन/नाम-निर्देशन तीन वर्ष या उससे कम के कार्यकाल के लिए आकस्मिक रिक्ति होने पर हुआ हो।

(ग) एक सदस्य के पास उसके कार्यकाल के तीन वर्षों के बाद अतिरिक्त रुपये 1,00,000/-, उपलब्ध होंगे बशर्ते कि कार्यकाल की शेष न्यूनतम अवधि तीन माह से कम न हो।

(घ) इस योजना की एक विशेषता यह है कि अपेक्षित वित्तीय हकदारी में से, रुपये 50,000/- सदस्यों को एक कस्टमाइज़्ड ई-रीडर उपकरण खरीदने में सुविधा देने के लिए है, जो संसदीय दस्तावेजों की कागज़ी प्रतियों पर उनकी निर्भरता को कम कर सकती है। अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष के भीतर अपनी प्रारंभिक वित्तीय हकदारी का उपयोग करते हुए ऐसे एक उपकरण की खरीद किया जाना सदस्यों के लिए अनिवार्य है इस उपकरण से संबंधित लागत को प्रत्येक सदस्य की वित्तीय हकदारी से अलग रखा जाता है और कार्यकाल का प्रथम वर्ष पूरा होने के बाद वित्तीय हकदारी का उपयोग तभी करने दिया जाता है जब सदस्य ने अनिवार्य ई-रीडर उपकरण खरीद लिया हो। तथापि, यदि एक ई-रीडर उपकरण की खरीद के पश्चात् रुपये 50,000/- की इस धनराशि में से कुछ धनराशि का उपयोग शेष रह जाता है, तो सदस्यों द्वारा उस धनराशि का उपयोग इस योजना के तहत अनुमत अन्य वस्तु (वस्तुओं) को खरीदने के लिए किया जा सकता है। राज्य सभा के सदस्यों के लिए कम्प्यूटर उपस्करों का प्रावधान करने संबंधी समिति वित्तीय हकदारी की राशियों की पर्याप्तता की वार्षिक समीक्षा करती है और संशोधन, यदि कोई हो, भविष्यलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होता है।

(ii) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा सदस्यों को ई-मेल सुविधा नि:शुल्क प्रदान की जाती है। सदस्यों को सेवा से निवृत्त होने के बाद भी एनआईसी द्वारा उनके लिए "संसद" डोमेन में बनाए गए आधिकारिक ई-मेल एकाउंट को रखने की अनुमति दी जाती है। एक बार ई-मेल एकाउंट बन जाने के बाद वह संसद के किसी भी सदन की उनकी सदस्यता के दौरान और उनकी सेवा से निवृत्ति के बाद कार्यरत रहता है।

(iii) साथ ही, एनआईसी ने राज्य सभा की भीतरी और बाहरी लॉबी सहित संसद भवन परिसर में सुरक्षित वाई-फाई सुविधाएं स्थापित की हैं। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सदस्य द्वारा सुविधा हेतु अपेक्षित प्रयोक्ता नाम का उल्लेख करते हुए एक प्रपत्र भरना आवश्यक होता है।

(iv) सदस्यों को लैंडलाईन कनैक्शन हेतु प्रतिवर्ष 1,50,000 नि:शुल्क टेलीफोन कॉलों में से 10,000 कॉलों के परित्याग पर एमटीएनएल/बीएसएनएल की अतिरिक्त ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

(v) सदस्य दिल्ली में अपने आवास में एमटीएनएल से वाई-फाई सेवाओं के साथ फाइबर टू दि होम (एफटीटीएच) में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें प्रतिमाह अधिकतम 2200/- रुपए तक की राशि का भुगतान नहीं करना होगा, और इस सुविधा के प्रभार के रूप में इसका भुगतान सीधे एमटीएनएल को किया जाएगा।

(vi) सदस्यों को उनके लिए तैयार किए गए पैकेज के आधार पर एमटीएनएल/बीएसएनएल की 3 जी सुविधा और ब्लैकबैरी सेवाएं क्रमश: 1500/- रुपये प्रतिमाह और 999/- रुपये प्रतिमाह की दर से उपलब्ध कराई गई हैं जिन्हें 1,50,000 नि:शुल्क टेलीफोन कॉलों के बदले समायोजित किया जाता है। इसी प्रकार, सदस्यों को अपने ई-रीडर टैबलेट उपकरणों (एप्पल आईपैड/सैमसंग गैलेक्सी टैब/कोई अन्य) पर इंटरनेट कनेक्टिविटी पाने के लिए रुपये 999/- प्रतिमाह की दर से एमटीएनएल और बीएसएनएल का असीमित डेटा यूज़ेज पैकेज उपलब्ध कराई गई है जो सदस्यों को उपलब्ध नि:शुल्क कॉलों के बदले समायोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सदस्यों को ब्लैकबेरी सेवाओं और एमटीएनएल/बीएसएनएल के डेटाकार्ड का उपयोग करने के लिए दो अतिरिक्त सिम (सदस्यों को मिलने वाले 3 सिम/कार्ड-दिल्ली के लिए एक सिम, निर्वाचन क्षेत्र फोन के लिए एक सिम और टेबलेट उपकरण के लिए एक और सिम के अतिरिक्त) भी उपलब्ध हैं।

7. सदस्यों के लाभ हेतु राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) के माध्यम से अंग्रेजी और हिन्दी में दो ऑनलाइन पाठ्यक्रम नामत: डिजीटल साक्षरता (नौ घंटे) और बेसिक कम्प्यूटर कॉन्सेप्टस (20 घंटे) तैयार किए गये हैं। जो http://econtent.nielit.gov.in/rs/login/index.php लिंक पर उपलब्ध हैं।

एम. पी. लैड्स समिति

एम.पी. लैड योजना

एम.पी. लैड योजना की शुरुआत 23 दिसम्बर, 1993 को की गई थी ताकि संसद सदस्यों द्वारा स्थानीय तौर पर महसूस की जाने वाली आवश्यकता के आधार पर स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियों के सृजन और सामुदायिक अवसंरचना सहित मूल सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु विकासपरक प्रकृति के कार्यों को संस्तुत करने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराया जा सके।

यह योजना दिशानिर्देशों के एक सैट द्वारा शासित होती है। आरंभ में यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन रही थी जिसने सर्वप्रथम फरवरी, 1994 में इस योजना संबंधी दिशानिर्देश जारी किए थे। बाद में इस योजना को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया था। इन दिशानिर्देशों को दिसम्बर, 1994; फरवरी, 1997; सितम्बर, 1999; अप्रैल, 2002; नवम्बर, 2005 और अगस्त, 2012 और जून, 2016 में संशोधित किया गया था।

नोडल मंत्रालय के तौर पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इस योजना के लिए नीति-निर्माण, निधियां जारी करने और इसके कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी है।

इस योजना की मुख्य-मुख्य विशेषताएं

1. एम.पी. लैड्स केन्द्रीय रूप से प्रायोजित एक योजना है जो भारत सरकार द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित है।
2. स्थानीय रूप से महसूस की जाने वाली जरूरतों पर आधारित विकासपरक प्रकृति के कार्य, जो सदैव आम जनता के उपयोग हेतु उपलब्ध रहे, इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय वरीयताओं जैसे पेय जल, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, सड़कों आदि की व्यवस्था से संबंधित कार्यों को वरीयता दी जाती है।

3. इस योजना के अंतर्गत सदस्यों की एक अनुशंसात्मक भूमिका होती है।

4. इस योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियां अव्यपगत होती हैं। प्रति संसद सदस्य/निर्वाचन क्षेत्र वार्षिक हकदारी 5 करोड़ रुपये है जो नोडल मंत्रालय द्वारा 2.5 करोड़ रुपये की दो किश्तों में जारी की जाती है। निधि संबंधित सदस्य के नोडल जिला प्राधिकरण को जारी की जाती है। एक वर्ष से कम की अवधि के लिए, एक संसद सदस्य की एमपीलैड्स राशि की हकदारी निम्नानुसार है:

   (क) 3 महीने से कम की अवधि के लिए: शून्य

   (ख) 3 से 9 महीने के बीच की अवधि के लिए: वार्षिक हकदारी का 50 प्रतिशत।

   (ग) 9 महीने से अधिक की अवधि के लिए: वार्षिक हकदारी का 100 प्रतिशत।

5. सदस्य के निर्वाचन/नामांकन तथा उनके द्वारा नोडल जिले का चयन करने के तुरंत बाद 2.5 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की जाती है। बाद के वर्षों में, वित्तीय वर्ष की शुरुआत में निम्नलिखित शर्तों के अधीन पहली किस्त जारी की जाती है:

   (क) पिछले वर्ष की दूसरी किस्त संबंधित संसद सदस्य के लिए जारी की गई थी;

   (ख) पिछले वर्ष का अनंतिम उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना, जिसमें पिछले वर्ष की पहली किस्त के व्यय का कम से कम 80 प्रतिशत व्यय कर दिया गया है; तथा

   (ग) संबंधित संसद सदस्य की व्यय न की गई निधि 3 करोड़ रुपये से कम है।

एमपीलैड्स निधि की दूसरी किस्त निम्नलिखित पात्रता मानदंडों की पूर्ति होने पर जारी की जाती है:

(क) असंस्वीकृत शेष राशि 1 करोड़ रुपये से कम है;

(ख) व्यय न की गई निधि 2.5 करोड़ रुपये से कम है; तथा

(ग) पिछले वित्तीय वर्ष का उपयोग प्रमाणपत्र और पिछले वर्ष से पूर्व वर्ष में संबंधित संसद सदस्य के लिए जारी किए गए धन के संबंध में जिला प्राधिकरण द्वारा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. जिला प्राधिकारी उस वर्ष के लिए निधियों की वास्तविक रूप से उपलब्धता के बिना भी संसद सदस्य की सिफारिश के अनुसार उसकी पूर्ण हकदारी तक कार्यों को स्वीकृत कर सकता है। तथापि, निधियों को जारी किया जाना ऊपर (5) में यथाविनिर्दिष्ट रूप में विनियमित होगा।

7. जिला प्राधिकारी को कार्यों की पात्रता की जांच करने, निधियों को स्वीकृति देने और कार्यान्वयन अभिकरणों का चयन करने, कार्यों की वरीयता देने, समग्र कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने और जमीनी स्तर पर इस योजना की निगरानी करने की शक्तियां दी गई हैं।

8. राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य उस राज्य, जिससे वे निर्वाचित हुए हैं, में किसी भी स्थान पर निर्माण कार्य की सिफारिश कर सकते हैं। राज्य सभा के नाम-निर्देशित सदस्य देश में कहीं भी कार्यान्वयन हेतु निर्माण कार्य की सिफारिश कर सकते हैं।

9. सरकारी अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले निर्माण कार्यों की कोई सीमा नहीं है। तथापि, कतिपय अपवादों* के

*अनाथों, वृद्ध/वयोवृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं, कुष्ठरोगियों, नेत्रहीन व्यक्तियों, मंदबुद्धि/मानसिक रूप से कमजोर बच्चों या मूक-बधिर बच्चों के लिए धर्मार्थ/रिहायशी घर संचालित करने वाली सोसाइटियां/न्यास एक करोड़ रुपये तक की एमपीलैड्स निधि का लाभ ले सकते हैं। आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए कार्यकृत न्यासों/सोसाइटियों के लिए 50 लाख रुपये से इतर 25 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि अनुमन्य है।

साथ प्रत्येक न्यास/सोसाइटी के लिए अपने जीवनकाल में किए जा सकने वाले कार्य के लिए 50 लाख रुपये की सीमा है। कोई संसद सदस्य किसी वित्तीय वर्ष में न्यास/सोसाइटियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए केवल एक करोड़ रुपये तक की निधि की सिफारिश कर सकता है। जिला प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि एमपीलैड्स के तहत प्रत्येक लाभार्थी सोसाइटी/न्यास नीति आयोग द्वारा अनुरक्षित दर्पण पोर्टल के साथ पंजीकृत किया गया है और उसकी एक विशिष्ट पहचान संख्या है।

10. सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, सिफारिश की प्राप्ति की तारीख से 75 दिनों के भीतर सभी अनुशंसित पात्र कार्यों को स्वीकृत किया जाना चाहिए। तथापि, जिला प्राधिकरण को, यदि कोई कारण हो, तो सिफारिशों की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों के भीतर संसद सदस्यों को अस्वीकृति के बारे में सूचित करना आवश्यक है।

11. देश के किसी भी हिस्से में गंभीर प्रकृति की आपदा के मामले में कोई संसद सदस्य अपने राज्य/निर्वाचन क्षेत्र के बाहर भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अनुमत्य कार्य करने के लिए एक करोड़ रुपये तक के कार्यों की सिफारिश कर सकता है।

12. कोई संसद सदस्य अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/निर्वाचन क्षेत्र के बाहर प्रति वर्ष 25 लाख रुपये तक के पात्र कार्यों की सिफारिश कर सकता है, लेकिन गैर-सरकारी संगठनों/न्यासों/सोसाइटियों के लिए इस तरह के योगदान की अनुमति नहीं होगी।

13. एम.पी. लैड्स निधियों के 15 प्रतिशत हिस्से का उपयोग अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले क्षेत्रों और 7.5 प्रतिशत का उपयोग अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में करना होता है।[६]

[६] यदि किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र नहीं हैं, तो यह राशि अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में उपयोग की जा सकती है और यदि किसी राज्य में अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र नहीं है, तो यह राशि अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में उपयोग की जा सकती है।

14. कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा कार्यान्वयन अभिकरण को बता दी जानी चाहिए और आम तौर पर यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

15. जैसे ही योजना के तहत काम पूरा हो जाता है, इसे सार्वजनिक उपयोग के लिए खोल दिया जाता है और परियोजना को प्रायोजित करने वाले संसद सदस्य के नाम को दर्शाते हुए 'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र योजना कार्य' शब्दों वाली एक पट्टिका (पत्थर/धातु) को स्थायी रूप से लगा दिया जाता है।

एम.पी. लैडस समिति का क्रमिक विकास

एम.पी. लैड योजना के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए एक समिति के गठन की जरूरत सदस्यों से इस योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों/परियोजनाओं का कार्यान्वयन नहीं होने/इसमें देरी होने के संबंध में प्राप्त शिकायतों के कारण और इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र की आवश्यकता के कारण उत्पन्न हुई। एम.पी. लैड योजना के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए दिनांक 16 जुलाई, 1998 को राज्य सभा के माननीय सभापति द्वारा राजनैतिक दलों/समूहों के सभी नेताओं की एक बैठक बुलाई गई। यह महसूस किया गया कि जिला प्राधिकारियों और संसद सदस्यों के बीच घनिष्ठ समन्वय होना चाहिए और एम.पी. लैड योजना से संबंधित समस्याओं की निगरानी करने के लिए राज्य सभा के उपसभाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक पृथक संसदीय समिति होनी चाहिए। राजनैतिक दलों/समूहों के नेताओं ने एम. पी. लैड्स से संबंधित सभी पहलुओं की जांच करने के लिए राज्य सभा के उपसभाध्यक्ष की अध्यक्षता में राज्य सभा की संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास संबंधी समिति (एम.पी. लैड समिति) गठित करने के लिए राज्य सभा के माननीय सभापति को प्राधिकृत किया। तद्नुसार, राज्य सभा की एम. पी. लैड्स समिति 5 सितम्बर, 1998 को गठित की गई जिसमें समिति के अध्यक्ष के रूप में राज्य सभा के उपसभाध्यक्ष सहित राज्य सभा के 10 सदस्य थे। वर्तमान में राज्य सभा की एम.पी. लैड्स समिति में बारह सदस्य हैं जिनमें सभी प्रमुख दलों/ग्रुपों के सदस्य शामिल हैं तथा राज्य सभा के माननीय उपसभापति इसके अध्यक्ष हैं।

समिति के कार्य

राज्य सभा की एमपीलैड्स समिति के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:–

(i) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करना और उनके संबंध में सिफारिशें करना।

(ii) योजना में परिवर्तन/सुधार के लिए सदस्यों से प्राप्त सुझावों पर विचार करना और उनके संबंध में सिफारिशें करना।

(iii) योजना संबंधी दिशानिर्देशों के गैर–कार्यान्वयन या उल्लंघन के संबंध में सदस्यों की शिकायतों पर विचार करना तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना।

(iv) एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन में निष्पादन और समस्याओं की निगरानी और समीक्षा करना।

(v) एमपीलैड्स के संबंध में ऐसे अन्य कार्य करना के लिए जिन्हें समय–समय पर राज्य सभा के सभापति द्वारा उसे सौंपा जाता है।

(vi) समिति देश के विभिन्न हिस्सों में गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सभा के सदस्यों द्वारा अपनी एमपीलैड्स निधियों से किए गए योगदान से किए जाने वाले पुनर्वास कार्यों की देखरेख करती है। पूर्व में समिति द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्नानुसार हैं:–

(क) उड़ीसा में सुपर साइक्लोन (1999);

(ख) गुजरात में भूकंप (2001);

(ग) दक्षिण भारत में सुनामी (2004);

(घ) बिहार में कोसी नदी में बाढ़ (2008);

(ङ) पश्चिम बंगाल में आईला चक्रवात (2009);

(च) लेह (जम्मू और कश्मीर) में बादल फटना और अचानक बाढ़ आना (2010);

(छ) सिक्किम और दार्जिलिंग में भूकंप (2011);

(ज) उत्तराखंड में बादल फटना, बाढ़ और भूस्खलन (2013);

(झ) जम्मू और कश्मीर में बाढ़ (2014);

(ञ) आंध्र प्रदेश में चक्रवात 'हुदहुद' (2014); और

(ट) केरल में आई बाढ़ (2018)।

समिति द्वारा विशेषकर, समिति के अंतर्गत निगरानी और जवाबदेही तंत्र को और सुदृढ़ तथा प्रभावी बनाने के लिए एम.पी. लैड योजना संबंधी दिशानिर्देशों की नियमित समीक्षा भी की जाती है। इस संबंध में समिति ने 2013 में सभा में एक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया है।

निम्नांकित तालिका में समिति द्वारा अपने गठन के बाद से किए गए कार्यों का विवरण दिया गया है:

वर्ष	की गई बैठकों की संख्या	प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या
1998	2	–
1999	4	1
2000	6	–
2001	7	2
2002	8	1
2003	4	–
2004	7	1
2005	8	–
2006	4	–
2007	3	–
2008	5	1
2009	3	–
2010	4	–

वर्ष	की गई बैठकों की संख्या	प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या
2011	6	–
2012	4	–
2013	2	1
2014	1	–
2015	2	–
2016	3	–
2017	2	–
2018	2	–
2019	3	–
2020 (अभी तक)	1	–

दो वर्षों के लिए एमपीलैड योजना का संचालन न किया जाना

सरकार ने कोविड-19 की चुनौती और इस बीमारी से समाज पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के अपने प्रयासों को देखते हुए दो वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एमपीलैड योजना का संचालन न करने का निर्णय लिया है। (परिपत्र सं. ई-4/2020-एमपीलैड्स (भाग-2) दिनांक 8 अप्रैल, 2020)

विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियां

संसद के प्रति सरकार की और अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी जिसके लिए अनेक प्रस्ताव उपस्थित किए गए। उनमें से एक प्रस्ताव ऐसा था कि संसदीय संवीक्षा को और अधिक व्यापक और प्रभावी बनाने हेतु समिति पद्धति को और अधिक सुदृढ़ किया जाए। तद्नुसार, 1989 में लोक सभा द्वारा तीन नाम आधारित समितियों अर्थात कृषि समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी समिति तथा पर्यावरण और वन संबंधी समिति का सृजन किया गया। समितियों में 22 सदस्य थे-15 सदस्य लोक सभा से और 7 सदस्य राज्य सभा से-जिनका नाम-निर्देशन संबंधित पीठासीन अधिकारियों द्वारा किया गया।

इन समितियों की सफलता ने हमारी संसदीय प्रणाली में एक अन्य दौर की शुरुआत की। 17 अगस्त, 1992 को राज्य सभा की सामान्य प्रयोजन समिति ने इस सुझाव पर विचार किया कि कृषि समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी समिति और पर्यावरण और वन संबंधी समिति जैसी मौजूदा तीन संसदीय समितियों की तर्ज पर मानव संसाधन विकास, उद्योग और श्रम संबंधी तीन संसदीय समितियों का गठन किया जाए। 18 अगस्त, 1992 को नियम समिति ने भी इस सुझाव पर सावधानीपूर्वक विचार किया और इन तीन स्थायी संसदीय समितियों की स्थापना की सिफारिश की। सभा ने समिति के पांचवें प्रतिवेदन को 19 अगस्त, 1992 को स्वीकार किया। तदुपरांत, सामान्य प्रयोजन समिति और नियम समिति ने इस पूरे मामले पर नए सिरे से विचार किया। मार्च, 1993 में राज्य सभा के सभापति की अध्यक्षता में राज्य सभा और लोक सभा की नियम समितियों की संयुक्त बैठक में भी इस विषय पर विचार किया गया। इस विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के संबंध में सत्रह विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का गठन किया गया।

उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में, नियम समिति ने अपने छठे प्रतिवेदन में राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों में इस प्रयोजनार्थ नियम शामिल करने की सिफारिश की। सभा ने 29 मार्च, 1993 को समिति के प्रतिवेदन को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार किया। इस मामले में राज्य सभा के सभापति के निदेश के अनुसरण में विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों से संबंधित नए नियम (268-277) 29 मार्च, 1993 से प्रभावी हुए। तत्कालीन उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति श्री के.आर. नारायणन ने 31 मार्च, 1993 को सत्रह विभाग-संबंधित समितियों का शुभारंभ किया।

राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष ने 8 अप्रैल, 1993 को पहली बार इन समितियों का गठन किया। इन 17 समितियों में से 6 समितियां समग्र रूप से राज्य सभा के सभापति के नियंत्रणाधीन थीं और 11 समितियां लोक सभा के अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन थीं। तत्पश्चात्, 20 जुलाई, 2004 को सात और समितियां जोड़ी गईं और तदुपरांत इनकी संख्या 17 से बढ़कर 24 हो गई। इन सभी 24 समितियों और उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सरकार के मंत्रालयों/विभागों का उल्लेख राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन विषयक नियमों की तीसरी अनुसूची में किया गया है। इन 24 समितियों में से तीसरी अनुसूची के भाग-I में सूचीबद्ध 8 समितियां राज्य सभा के सभापति के समग्र क्षेत्राधिकार में आती हैं जबकि तीसरी अनुसूची के भाग-II में सूचीबद्ध शेष 16 समितियां लोक सभा के अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन आती हैं। राज्य सभा के सभापति द्वारा लोक सभा के अध्यक्ष से परामर्श करके भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 में किए गए संशोधनों के आधार पर तीसरी अनुसूची को समय-समय पर संशोधित किया जाता है। [तीसरी अनुसूची का अद्यतन रूपांतर उपाबंध-ख पर पुनः उद्धृत है।]

विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का अधिदेश अनुदान मांगों पर विचार करना, विधेयकों, दीर्घकालिक राष्ट्रीय नीतियों, आदि की जांच करना है। निःसंदेह, इन समितियों का मुख्य प्रयोजन सरकार के कार्यों की गहन जांच करना और सरकार की संसद के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

तथापि, यह स्मरण रखा जाए कि इस संदर्भ में संसदीय नियंत्रण का अभिप्राय है प्रभाव, न कि प्रत्यक्ष नियंत्रण; परामर्श, न कि समादेश; आलोचना, न कि अवरोध; संवीक्षा, न कि पहल; जवाबदेही, न कि पूर्वानुमोदन। संक्षेप में, समिति प्रणाली का यही मूलाधार है। समितियों ने अधिकांशत: गैर-दलीय भावना से कार्य किया है और उनका विचार-विमर्श और निष्कर्ष वस्तुपरक रहा है और इसी कारण समिति की सिफारिशों का सम्मान किया जाता है।

31 मार्च, 1993 को विभाग-संबंधित संसदीय समिति प्रणाली के औपचारिक उद्घाटन पर भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति श्री के. आर. नारायणन ने कहा था कि इन समितियों का प्रयोजन:

> ''इन समितियों में उपायों पर विस्तृत विचार करके संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करना होगा। इसका उद्देश्य प्रशासन की आलोचना करना अथवा उसे कमजोर करना नहीं है बल्कि इसे और अधिक संसदीय सहायता के साथ मजबूत बनाना है।''
>
> [श्री के. आर. नारायणन द्वारा 31 मार्च, 1993 को संसद भवन में दिए गए मुख्य भाषण का पाठ उपाबंध-ग पर है।]

इन समितियों के अस्तित्व में आने से पूर्व समग्र सभा द्वारा प्रतिवर्ष भारत सरकार के वार्षिक बजट पर चर्चा की जाती थी और उसे अनुमोदित किया जाता था। समय के अभाव के कारण, सभा द्वारा कुछ ही मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर विचार हो पाता था। प्रत्येक वर्ष बजट के अधिकांश भाग को 'गिलोटिन' किया जाता था अर्थात् बगैर किसी चर्चा के अनुमोदित किया जाता था। इस पर मीडिया से बड़े पैमाने पर आलोचनाएं आ रही थीं। इसलिए, विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों को अन्य बातों के साथ-साथ, अपने अधीन मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा करने और सभा को प्रतिवेदन देने का अधिकार दिया गया। इसलिए, संसद की सभाओं को वार्षिक बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है ताकि ये समितियां अपने अधीन मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर विचार कर सकें। वे अपने प्रतिवेदनों को निर्धारित अवधि में सभाओं को प्रस्तुत करती हैं–प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लिए पृथक् प्रतिवेदन देती हैं।

तत्पश्चात् इन प्रतिवेदनों को संबंधित मंत्रालय/विभाग के पास समिति के सुझावों/सिफारिशों को लागू करने के लिए भेजा जाता है। विभागों/मंत्रालयों को समिति को की गई कार्रवाई नोट भिजवाना होता है और समिति की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकती है जिसमें उन तथ्यों को शामिल किया जाता है जिन पर समिति सरकार के उत्तर से संतुष्ट नहीं होती।

समितियों के प्रतिवेदन मोटे तौर पर सहमति पर आधारित होते हैं। यदि कोई सदस्य प्रतिवेदन में सम्मिलित किसी बात पर असहमत होता है तो वह इस आशय की असहमति-टिप्पणी कर सकता है। समिति सामान्यत: उन विषयों पर विचार नहीं करती जो किसी अन्य समिति के क्षेत्राधिकार में आते हों। विभाग-संबंधित स्थायी समितियों के प्रतिवेदन अनुसरणीय होते हैं और उन्हें सुविचारित सलाह के रूप में लिया जाता है। ये समितियां मंत्रालयों/विभागों के दैनंदिन मामलों पर विचार नहीं करतीं।

[विभाग–संबंधित संसदीय स्थायी समितियों से संबंधित नियम उपाबंध-घ में दिए गए हैं]

विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों पर लागू नियम

राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों के विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों संबंधी निम्नलिखित नियम विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों पर भी लागू होंगे:–

गठन।

72. (1) किसी विधेयक पर प्रवर समिति के सदस्य राज्य सभा द्वारा तभी नियुक्त किये जायेंगे जब यह प्रस्ताव किया जाये कि विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाये।

(2) यदि कोई सदस्य प्रवर समिति में काम करने के लिए राजी न हो तो उसे उस समिति का सदस्य नियुक्त नहीं किया जायेगा। प्रस्तावक यह सुनिश्चित कर लेगा कि जिस सदस्य के नाम का प्रस्ताव वह करना चाहता है वह समिति में काम करने के लिए राजी है।

(3) प्रवर समिति में आकस्मिक रूप से रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति राज्य सभा में किये गये एक प्रस्ताव पर नियुक्ति द्वारा की जायेगी।

समिति का अध्यक्ष।

73. (1) समिति का अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से [सभापति][1] द्वारा नियुक्त किया जायेगा:

परन्तु जहां उपसभापति समिति का सदस्य हो, उसे समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा।

---

[1]राज्य सभा संसदीय समाचार भाग-II दिनांक 15.01.1982 के पैरा सं. 26480 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) यदि समिति का अध्यक्ष किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो तो [सभापति][2] उसी प्रकार से उसके स्थान पर समिति का एक अन्य अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगा।

(3) यदि समिति का अध्यक्ष किसी बैठक में अनुपस्थित रहे तो समिति किसी अन्य सदस्य को उसे बैठक में समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए चुन लेगी।

गणपूर्ति।

74. (1) समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति समिति की समस्त सदस्य संख्या के एक-तिहाई से होगी।

(2) यदि प्रवर समिति की किसी बैठक के लिए निश्चित समय पर या ऐसी किसी बैठक के दौरान किसी समय गणपूर्ति न हो तो समिति का अध्यक्ष उस बैठक को गणपूर्ति होने तक या तो निलम्बित रखेगा अथवा उस बैठक को किसी आगामी दिन के लिए स्थगित कर देगा।

(3) जहां उपनियम (2) के अनुसार, प्रवर समिति उस समिति की बैठक के लिए निश्चित दो तिथियों के लिए लगातार स्थगित की जा चुकी हों तो समिति का अध्यक्ष उस बात की सूचना राज्य सभा को दे देगा।

अनुपस्थित सदस्यों को अलग किया जाना।

75. यदि कोई सदस्य प्रवर समिति के अध्यक्ष की अनुमति के बिना समिति की दो या दो से अधिक बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहे तो ऐसे सदस्य को समिति से अलग करने के लिए राज्य सभा में प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकेगा।

---

[2]पूर्वोक्त द्वारा प्रतिस्थापित।

समिति के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्य किसी बैठक में उपस्थित रह सकेंगे।

76. जो सदस्य प्रवर समिति के सदस्य न हों, वे समिति के पर्यालोचन के दौरान उपस्थित रह सकेंगे किन्तु वे न तो समिति को सम्बोधित करेंगे और न ही समिति के सदस्यों में बैठेंगे:

परन्तु कोई मंत्री समिति के अध्यक्ष की अनुज्ञा से उस समिति को सम्बोधित कर सकेगा जिसका वह सदस्य न हो।

समिति के अध्यक्ष का निर्णायक मत।

77. किसी विषय पर मतों की संख्या समान होने की अवस्था में समिति के अध्यक्ष अथवा अध्यक्षता करने वाले अन्य व्यक्ति का दूसरा या निर्णायक मत होगा।

उपसमितियां नियुक्त करने की शक्ति।

78. प्रवर समिति विधेयक से संबंधित किन्हीं विशेष बातों की जांच करने के लिए एक उपसमिति नियुक्त कर सकेगी। ऐसी उपसमिति को निर्देश के आदेश में जांच-पड़ताल की बात या बातों का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। उपसमिति के प्रतिवेदन पर संपूर्ण समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

अधिवेशन।

79. प्रवर समिति के अधिवेशन ऐसे दिनों में और ऐसे समय होंगे जिसे समिति का अध्यक्ष निश्चित करे:

परन्तु यदि समिति का अध्यक्ष तत्काल न मिल सके तो महासचिव उस मंत्री के परामर्श से जिसके मंत्रालय का संबंध विधेयक से हो, अधिवेशन की तिथि और समय निश्चित कर सकेगा।

बैठकें।

80. जिस समय राज्य सभा की बैठक हो रही हो उस समय भी प्रवर समिति की बैठक हो सकेगी, परन्तु राज्य सभा में मत-विभाजन की मांग किए जाने पर समिति का अध्यक्ष, समिति की कार्यवाही ऐसे समय तक के लिए निलंबित कर देगा जिसके भीतर, उसकी राय में, सदस्य मत-विभाजन में मत दे सकेंगे।

बैठकों का स्थान।

81. प्रवर समिति की कोई भी बैठक संसद् भवन की परिसीमा के बाहर नहीं होगी:

परन्तु यदि किसी अवस्था में संसद् भवन की परिसीमा के बाहर ऐसी बैठक करना आवश्यक समझा जाये तो इस विषय का निर्देश सभापति को किया जायेगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

संशोधनों की सूचना और समिति में प्रक्रिया।

82. (1) यदि प्रस्थापित संशोधन की सूचना प्रवर समिति द्वारा विधेयक लिये जाने के दिन से पूर्व न दी गई हो तो कोई भी सदस्य संशोधन के उपस्थित किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा और जब तक समिति का अध्यक्ष संशोधन के उपस्थित किये जाने की अनुमति न दे तब तक ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी।

(2) अन्य प्रकरणों में प्रवर समिति में प्रक्रिया ऐसे अनुकूलनों के साथ, जो चाहे रूपभेद के हों अथवा कोई अंश जोड़कर या निकालकर दिये गये हों, जिन्हें सभापति आवश्यक या सुविधाजनक समझे, यथासाध्य वही होगी जिसका अनुसरण राज्य सभा में विधेयक के विचार प्रक्रम में किया जाता है।

समिति के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों द्वारा संशोधनों की सूचना।

83. जब कोई विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जा चुका हो तो विधेयक के किसी खण्ड के संशोधन की किसी सदस्य द्वारा दी गई सूचना समिति को सौंपी गई समझी जायेगी परन्तु जब संशोधन की सूचना किसी ऐसे सदस्य से प्राप्त हुई

हो जो प्रवर समिति का सदस्य नहीं है तो ऐसा संशोधन समिति द्वारा तब तक नहीं लिया जायेगा जब तक कि वह समिति के किसी सदस्य द्वारा उपस्थित न किया जाये।

साक्ष्य लेने अथवा पत्र अभिलेख अथवा प्रलेख मंगाने की शक्ति।

84. (1) यदि प्रवर समिति अपने कर्त्तव्य -पालन के लिए व्यक्तियों की उपस्थिति अथवा पत्र अथवा अभिलेख प्रस्तुत कराना आवश्यक समझे तो उसे ऐसा मार्ग अपनाने की शक्ति होगी:

परन्तु यदि कोई प्रश्न उठाता है कि समिति के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति का साक्ष्य या किसी प्रलेख का प्रस्तुत किया जाना संगत है या नहीं तो उस प्रश्न का निदेश सभापति को किया जायेगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा:

परन्तु यह और भी कि सरकार किसी प्रलेख को प्रस्तुत करने से इस आधार पर इंकार कर सकेगी कि उसका प्रकट किया जाना राज्य की सुरक्षा या हित के प्रतिकूल होगा।

(2) इस नियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, महासचिव द्वारा हस्ताक्षरित आदेश के द्वारा किसी साक्षी को आमंत्रित किया जा सकेगा और वह ऐसे प्रलेख प्रस्तुत करेगा जो समिति के उपयोग के लिए अपेक्षित हों।

(3) प्रवर समिति विशेषज्ञ साक्ष्य को तथा उन विशेष हितों के प्रतिनिधियों के बयान सुन सकेगी जिन पर उनके समक्ष विद्यमान विधान का प्रभाव पड़ता हो।

(4) समिति को प्रस्तुत किया गया कोई प्रलेख समिति की जानकारी तथा अनुमोदन के बिना वापस नहीं लिया जायेगा अथवा उसमें परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

साक्षियों की जांच के लिए प्रक्रिया।

85. प्रवर समिति के समक्ष साक्षियों की जांच निम्न प्रकार से की जायेगी:

(1) प्रवर समिति किसी साक्षी को जांच के लिये बुलाये जाने के पहले प्रक्रिया की रीति को तथा ऐसे प्रश्नों के स्वरूप को निश्चित कर लेगी जो साक्षी से पूछे जा सकेंगे।

(2) प्रवर समिति का अध्यक्ष इस नियम के उपनियम (1) में उल्लिखित प्रक्रिया की रीति के अनुसार साक्षी से पहले ऐसे प्रश्न या ऐसा प्रश्न पूछ सकेगा जिन्हें वह विधेयक के विषय या तत्सम्बन्धी किसी विषय के सम्बन्ध में पूछना आवश्यक समझे।

(3) समिति का अध्यक्ष प्रवर समिति के अन्य सदस्यों को एक-एक करके कोई अन्य प्रश्न पूछने के लिए कह सकेगा।

(4) साक्षी से यह कहा जा सकेगा कि वह समिति के सामने कोई ऐसी अन्य संगत बातें रखे जो पहले न आ चुकी हों और जिन्हें साक्षी समिति के सामने रखना आवश्यक समझे।

(5) जब किसी साक्षी को साक्ष्य को देने के लिए आमंत्रित किया जाये तो प्रवर समिति

की कार्यवाही का शब्दशः अभिलेख रखा जाएगा।

साक्ष्य का मुद्रण तथा प्रकाशन।

86. (1) नियम 85 के अधीन प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य को प्रवर समिति के सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया जा सकेगा।

(2) समिति निर्देश दे सकेगी कि सम्पूर्ण साक्ष्य अथवा उसका कोई अंश अथवा उसका सारांश सभा पटल पर रख दिया जाये।

(3) प्रवर समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य प्रवर समिति के किसी सदस्य अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक प्रकाशित नहीं किया जायेगा जब तक उसे सभा पटल पर न रख दिया गया हो:

परन्तु सभापति स्वविवेक से निदेश दे सकेगा कि ऐसा साक्ष्य सभा पटल पर औपचारिक रूप से रखा जाने से पहले सदस्यों को गुप्त रूप से उपलब्ध करा दिया जाये।

निदेश देने की सभापति की शक्ति।

87. (1) सभापति समय-समय पर समिति के अध्यक्ष के लिए ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जिन्हें वह उसकी प्रक्रिया को विनियमित करने तथा उसके कार्य के संगठन के लिए आवश्यक समझे।

(2) यदि प्रक्रिया की किसी बात के बारे में अथवा अन्यथा कोई सन्देह उत्पन्न हो तो समिति का अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे, उस बात का सभापति को निर्देश कर सकेगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

प्रक्रिया के संबंध में सुझाव देने की शक्ति।

88. प्रवर समिति को प्रवर समितियों से संबंधित प्रक्रिया के विषयों के बारे में संकल्प सभापति के विचारार्थ पारित करने की शक्ति होगी जो प्रक्रिया में ऐसे परिवर्तन कर सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे।

निर्णयों का अभिलेख।

89. प्रवर समिति के निर्णयों का अभिलेख रखा जायेगा और समिति के अध्यक्ष के निदेशानुसार उसे समिति के सदस्यों को परिचालित किया जायेगा।

प्रतिवेदन।

90. (1) किसी विधेयक के प्रवर समिति को सौंपे जाने के बाद, यथाशीघ्र प्रवर समिति विधेयक पर विचार करने के लिए नियम 79 के अनुसार समय-समय पर समवेत होगी और राज्य सभा द्वारा निश्चित समय के भीतर उस पर प्रतिवेदन दे देगी:

परन्तु जहां राज्य सभा ने प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए कोई भी समय निश्चित न किया हो, प्रतिवेदन उस तिथि से तीन मास की समाप्ति से पहले उपस्थित कर दिया जायेगा जिस तिथि को राज्य सभा ने प्रवर समिति को विधेयक सौंपे जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया था:

परन्तु यह और भी कि राज्य सभा किसी भी समय, प्रस्ताव किये जाने पर निदेश दे सकेगी कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए समय को प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाये।

(2) प्रतिवेदन प्रारंभिक हो सकते हैं अथवा अन्तिम।

(3) प्रवर समिति अपने प्रतिवेदन में यह बताएगी कि इन नियमों के निदेश के अनुसार विधेयक का प्रकाशन हो गया है या नहीं और प्रकाशन किस तिथि को हुआ है।

(4) जहां किसी विधेयक में परिवर्तन किया गया हो, प्रवर समिति, यदि वह ठीक समझे, अपने प्रतिवेदन में विधेयक के भारसाधक सदस्य के लिए यह सिफारिश सम्मिलित कर सकेगी कि उसका अगला प्रस्ताव परिचालन का प्रस्ताव होना चाहिए अथवा जहां विधेयक पहले ही परिचालित किया जा चुका हो, पुनः परिचालन का।

(5) प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर समिति की ओर से समिति का अध्यक्ष हस्ताक्षर करेगा: परन्तु उस अवस्था में, जब समिति का अध्यक्ष अनुपस्थित हो अथवा वह तत्काल न मिल सकता हो तो समिति की ओर से प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए समिति एक अन्य सदस्य चुनेगी।

(6) प्रवर समिति का कोई सदस्य विधेयक से संबंधित अथवा प्रतिवेदन में दिये गए किसी विषय या विषयों पर विसम्मति-टिप्पण अभिलिखित कर सकेगा; तथापि विसम्मति-टिप्पण संयत और शिष्ट भाषा में व्यक्त करना होगा और उसमें न तो समिति में हुई किसी चर्चा का उल्लेख होगा और न समिति या समिति के अध्यक्ष या उसके किसी सदस्य पर किसी तरह का लांछन लगाया जाएगा।

(7) (i) यदि समिति के अध्यक्ष की राय में किसी विसम्मति-टिप्पण में ऐसे शब्द, वाक्यांश या

पद हों जो असंसदीय, असंबद्ध अथवा अन्यथा अनुपयुक्त हों तो वह ऐसे शब्दों, वाक्यांशों अथवा पदों को विसम्मति-टिप्पण से निकाल दिए जाने का आदेश दे सकेगा।

(ii) उपर्युक्त (i) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, सभापति को इस प्रकार की परिस्थितियों में निकाल दिये जाने का आदेश देने अथवा विसम्मति के टिप्पण से निकाले जाने के संबंध में सभी निर्णयों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

प्रतिवेदन का उपस्थापन।

91. (1) किसी विधेयक पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन, विसम्मति-टिप्पणों सहित, यदि कोई हो, राज्य सभा में समिति के अध्यक्ष द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में समिति के किसी सदस्य द्वारा उपस्थित किया जायेगा।

(2) किसी प्रतिवेदन को उपस्थित करते समय समिति का अध्यक्ष, अथवा, उसकी अनुपस्थिति में, प्रतिवेदन को उपस्थित करने वाला सदस्य यदि कोई अभ्युक्ति करता है तो वह अपने आपको तथ्य के संक्षिप्त कथन तक सीमित रखेगा किन्तु उस प्रक्रम में कोई वाद-विवाद नहीं होगा।

प्रतिवेदनों का मुद्रण तथा प्रकाशन।

92. महासचिव प्रवर समिति के प्रत्येक प्रतिवेदन को मुद्रित करायेगा और प्रतिवेदन की एक-एक प्रति राज्य सभा के प्रत्येक सदस्य के उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। प्रतिवेदन तथा प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक को राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

उपाबंध-ख

विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियां

राज्य सभा

तीसरी अनुसूची

(***देखें*** नियम 268)

विभिन्न विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों को मंत्रालयों/विभागों का आबंटन

क्रम सं.	**समिति का नाम**	**मंत्रालय/विभाग**
	भाग-I	
1.	वाणिज्य संबंधी समिति	वाणिज्य और उद्योग
2.	गृह कार्य संबंधी समिति	(1) गृह कार्य (2) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास
3.	मानव संसाधन विकास संबंधी समिति	(1) मानव संसाधन विकास (2) युवक कार्यक्रम और खेल (3) महिला एवं बाल विकास
4.	उद्योग संबंधी समिति	(1) भारी उद्योग और लोक उद्यम (2) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम
5.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी समिति	(1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी (2) अंतरिक्ष (3) पृथ्वी विज्ञान (4) परमाणु ऊर्जा (5) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

क्रम सं.	समिति का नाम	मंत्रालय/विभाग
6.	परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति	(1) नागर विमानन (2) सड़क परिवहन और राजमार्ग (3) पोत परिवहन (4) संस्कृति (5) पर्यटन
7.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति	(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (2) आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)
8.	कार्मिक, लोक शिकायत, और न्याय संबंधी समिति	(1) विधि और न्याय (2) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन
	भाग–II	
9.	कृषि संबंधी समिति	(1) कृषि और किसान कल्याण (2) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (3) मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी
10.	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति	(1) संचार (2) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (3) सूचना और प्रसारण
11.	रक्षा संबंधी समिति	रक्षा
12.	ऊर्जा संबंधी समिति	(1) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (2) विद्युत
13.	विदेशी मामलों संबंधी समिति	(1) विदेशी कार्य (2) प्रवासी भारतीय कार्य
14.	वित्त संबंधी समिति	(1) वित्त (2) कॉरपोरेट कार्य (3) योजना (4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन
15.	खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण

क्रम सं.	समिति का नाम	मंत्रालय/विभाग
16.	श्रम संबंधी समिति	(1) श्रम और रोजगार (2) वस्त्र (3) कौशल विकास और उद्यमिता
17.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
18.	रेल संबंधी समिति	रेल
19.	शहरी विकास संबंधी समिति	आवासन और शहरी कार्य
20.	जल संसाधन संबंधी समिति	जल शक्ति
21.	रसायन और उर्वरक संबंधी समिति	रसायन और उर्वरक
22.	ग्रामीण विकास संबंधी समिति	(1) ग्रामीण विकास (2) पेयजल और स्वच्छता (3) पंचायती राज
23.	कोयला और इस्पात संबंधी समिति	(1) कोयला (2) खान (3) इस्पात
24.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति	(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता (2) जनजाति कार्य (3) अल्पसंख्यक कार्य

संसद् में समिति प्रणाली का उद्घाटन करते हुए 31 मार्च, 1993 को राज्य सभा के माननीय सभापति श्री के. आर. नारायणन द्वारा दिया गया मुख्य भाषण

माननीय प्रधान मंत्री, माननीय लोकसभाध्यक्ष, माननीय संसदीय कार्य मंत्री और माननीय संसद् सदस्य:

आज हम अपनी संसदीय प्रणाली के विकास के नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि मानव संस्थाओं में इतिहास के विराम जैसी कोई चीज हो सकती है। यह संसद् भी गत वर्षों से विकासोन्मुख है और यह महत्वपूर्ण है कि यद्यपि अब काफी समय से समिति प्रणाली के संबंध में अन्य संसदों को जानकारी है, परन्तु हम इसे अनुकरणीय रूप में ग्रहण नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने अनुभव के माध्यम से हमने पाया है कि यह प्रणाली हमारी अपनी प्रणाली के कार्यकरण के लिए आवश्यक है।

समिति प्रणाली एक पुराना विचार है जिसका आज समय आ गया है। हाल ही में मुझे याद पड़ता है कि भूतपूर्व लोकसभाध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ और श्री रवि राय ने हमारी संसद् में इस समिति प्रणाली को स्थापित करने के अपने विचारों को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। परन्तु आज हमारे लोकसभाध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल ने इस विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए साहसपूर्ण पहल की है और कड़ी मेहनत की है। उन्होंने इस प्रणाली को स्थापित करने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी पर्याप्त अनुनय-विनय शक्ति का उपयोग किया था और आज मैं उन्हें उनकी उपलब्धि पर बधाई देना चाहता हूं। यह एक ऐतिहासिक कदम है जिसके लिए प्रधान मंत्री के नेतृत्व में सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मुझे याद है कि गत सितम्बर में केन्द्रीय कक्ष में आयोजित भारत की संसद् और विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में उन्होंने

कहा था कि वह चाहते हैं कि समिति प्रणाली यथाशीघ्र आरंभ की जाए और उनका विश्वास है कि हम इस प्रणाली को सफल बनाने में समर्थ होंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालयों में राज्य मंत्रियों ने दोनों सभाओं में कड़ी मेहनत की है और इस नई प्रणाली को साकार करने में अपना योगदान दिया है। मैं दोनों सभाओं के नियम समितियों के सदस्यों को धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इस प्रणाली को आरंभ करने में पेश आने वाली अनेक समस्याओं को हल करने में हमारी सहायता की है और हमें इस मामले में सर्वसम्मति तक पहुंचने में समर्थ बनाया।

हमारे समक्ष ब्रिटेन के हाऊस ऑफ कॉमन्स, जिसने 1979 में विभाग-संबंधित प्रवर समितियों के रूप में यह प्रणाली लागू की, का अनुभव है। ब्रिटेन में सर्वसम्मत राय यह है कि 1979 से प्रवर समितियों ने वाइटहॉल से आने वाली जानकारी में वृद्धि की है और इसके परिणामस्वरूप संसद् के अन्दर और बाहर कुछ सीमा तक बहस ज्यादा जानकारीपूर्ण हो गई है।

यह प्रणाली मूलभूत या साधारण मुद्दों से निपटने के अलावा, संसद् के कार्यकरण को बेहतर बनाएगी। इस प्रणाली का एक महत्वपूर्ण प्रभाव वाद-विवाद तथा संसदीय प्रणाली के कार्यकरण की क्षमता को आमतौर पर बेहतर बनाना है। हमने अपने देश में कुछ राज्य विधान सभाओं में कार्य कर रही प्रणाली को अपनाया था। केरल में यह प्रणाली पिछले कुछ समय से कार्य कर रही थी तथा इसे सफल पाया गया है। केरल राज्य में अपनायी जा रही प्रणाली में एक अंतर यह है कि सामान्यतया मंत्री विषय समितियों की अध्यक्षता करते हैं तथा समितियों को मुद्दों और शिकायतों की भी जांच करने का अधिकार है।

हमारी समितियों का प्रमुख कार्य सरकार के कार्यकरण की गहन जांच करना, अनुदान मांगों, विधेयकों, दीर्घावधिक राष्ट्रीय नीतियों, आदि पर विचार करना होगा। निस्संदेह, प्रमुख प्रयोजन, इन समितियों में उपायों पर और अधिक विस्तृत विचार के माध्यम से संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इसका आशय प्रशासन को कमजोर करना या उसकी आलोचना करना नहीं है, बल्कि इसे और अधिक सार्थक संसदीय समर्थन देकर सुदृढ़ बनाना है।

मैं समझता हूं कि समितियां अपने कार्यकरण में अन्वेषणात्मक नहीं होनी चाहिए और न ही सरकारी पक्ष को अपने रवैये में अपवंचक होना चाहिए। यद्यपि इन समितियों में भारी मात्रा में कार्य किया जा सकता है, तथापि ऐसा माना जाता है कि ये मुद्दों पर, मांगों पर, विधान तथा अन्य मामलों पर संसद् में संपूर्ण बहस का विकल्प नहीं हो सकती। समितियां केवल एक तंत्र हैं। हमें उन्हें, प्राणवान बनाना है, और इसके लिए, केवल सदस्यों की संपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण भागीदारी की ही आवश्यकता नहीं है अपितु मेरे विचार से, सचिवालय द्वारा भी जोरदार समर्थन होना चाहिए, जैसाकि माननीय अध्यक्ष ने उल्लेख किया है, इन समितियों के गठन में दोनों सभाओं के सचिवालयों ने पहले ही योगदान किया है। ज्ञानवान, विषयपरक अधिकारियों की मदद के बिना न तो संसद् और न ही समिति प्रणाली प्रभावी रूप से कार्य कर सकती है।

मेरा यह भी मानना है कि समितियों को दी जाने वाली सचिवालयी और अनुसंधान सहायता के अतिरिक्त हमें पूरी संसद्, वस्तुतः प्रत्येक संसद् सदस्य के लिए अनुसंधान और सचिवालयी सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए। मैं जानता हूं कि यह खर्चीली हो सकती है, लेकिन स्वाधीनता के समय से हमारी आम नौकरशाही लॉ ऑफ पार्किंसन के अनुसार ही बढ़ रही है। और ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए यह सुनिश्चित करना असंभव नहीं होगा कि संसद् सदस्यों को कम से कम न्यूनतम अनुसंधान और सचिवालयी सहायता दी जाए ताकि वह जनादेश को दक्षता एवं प्रभावी रूप से पूरा कर सकें। मैंने देखा है कि संयुक्त राज्य अमरीका में 'दी कांग्रेसनल एड्स' नामक एक संस्था है तथा प्रत्येक सीनेटर तथा कांग्रेस के सदस्य के पास अनुसंधान हेतु कर्मचारी हैं तथा ये केवल अनुसंधान के लिए नहीं अपितु सामान्य सलाह के लिए भी हैं और ये सहायताएं एक सिविल सेवक और एक राजनीतिज्ञ के बीच का मामला है; तथा इसमें अधिकांश युवक हैं और ये केवल कांग्रेस के सदस्यों और सीनेटरों की मदद ही नहीं करते बल्कि अंततः उनमें से कुछ, उनकी सहायता करते-करते प्राप्त किये गये अनुभव की मदद से कांग्रेस के सदस्य भी बन जाते हैं। हमारे पास शिक्षित युवकों का एक बड़ा पूल है, जिनसे, मैं समझता हूं कि हम इस प्रकार की सहायता ले सकते हैं।

मैं अधिकारियों की भूमिका के बारे में कुछ और कहना चाहता हूं। ब्रिटिश प्रणाली के अधीन, संसदीय सरकार के एक महान विशेषज्ञ के. सी. व्हेयर के अनुसार, एक सर्वाधिक बहुमूल्य बात है: 'विशेष' और 'गैर-विशेष मस्तिष्क' का मेल–यह शब्दावली वस्तुत: बागेहाट की है। यह सदस्यों और अधिकारियों के बीच समिति के कार्य में सहयोग के परिणामत: मैं व्हेयर को पुन: उद्धृत करता हूं: "बहुलता में से एकता, असमंजस में से दिशा तथा चर्चा में से निष्कर्ष निकलता है"। यह समितियों पर अधिकारियों के गतिशील प्रभाव का ही परिणाम है कि यह प्रणाली अनेक देशों में चल रही है और जिस पर अब हम भी कार्य करने जा रहे हैं।

समिति प्रणाली के बारे में आमतौर पर अनेक समालोचनाएं हुई हैं। ब्रिटेन में किसी ने कहा है, ''समिति लोगों का वह निकाय है जो कार्यवृत्त रखती है और घंटे बर्बाद करती है।'' एक अन्य परिभाषा भी है कि, ''वे लोगों का एक ऐसा समूह है, जो व्यक्तिगत रूप से प्रतिबद्ध है कि कुछ किया जाए लेकिन सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं कि कुछ भी नहीं किया जा सकता है।'' मुझे यह भी आशा है कि समिति प्रणाली अधिक सार्थक रूप से कार्य करेगी।

भारतीय संसद् एक अनुकूलित संस्था रही है, लेकिन यह एक अत्यंत मूल तरीके से विकसित हुई है। और हमने संसदीय प्रणाली को नए कार्य करने के लिए बनाया है, जिसका प्रयास विकसित देशों में संसदों ने कभी नहीं किया। हमने इसे, हमारी अर्थव्यवस्था और समाज के मूलभूत विकास के प्रयोजन को पूरा करने के लिए बनाया है। हमने इसे अनेकता से भरे समाज को एकजुट करने के लिए इस्तेमाल किया है। और अक्सर, हमने इस प्रणाली को समाज में यदा-कदा होने वाली अस्त-व्यस्तता से निपटने और कुछ सुधार करने में असरकारक पाया है। इन प्रयोजनों हेतु हमारी संसद् ने सृजनात्मक और मूल रूप से कार्य किया है। और मेरे विचार से, इन समितियों की स्थापना करके हम इसमें एक नया आयाम जोड़ रहे हैं।

इस नई प्रणाली का उद्घाटन करते समय, मैं, हमारी संसदीय प्रणाली और हमारे प्रजातंत्र को समृद्ध बनाने में समिति प्रणाली की सफलता की कामना करता हूं।

धन्यवाद।

विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों विधेयक नियम

विभाग संबंधित स्थायी समितियां।

268. (1) सभाओं की मंत्रालयों/विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियां होंगी (इन्हें स्थायी समितियां कहा जाएगा)।

(2) प्रत्येक स्थायी समिति, तीसरी अनुसूची में यथा अन्तर्विष्ट, मंत्रालयों/विभागों से संबंधित होगी:

परन्तु यह कि सभापति तथा लोक सभा के अध्यक्ष (इसमें इसके पश्चात् इन्हें अध्यक्ष कहा गया है) एक दूसरे से परामर्श करके उक्त अनुसूची में समय-समय पर परिवर्तन कर सकेंगे।

गठन।

269. (1) नियम 268 के अधीन गठित प्रत्येक स्थायी समिति में 31 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। राज्य सभा के सभापति द्वारा राज्य सभा के सदस्यों में से 10 सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा लोक सभा के सदस्यों में से 21 सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा:

परन्तु यह तब जब कि मंत्री के रूप में नियुक्त किसी सदस्य को किसी समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा या वह किसी समिति का सदस्य नहीं बना रहेगा।

(2) तीसरा अनुसूची के भाग (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक समिति का अध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति द्वारा संबंधित समितियों के सदस्यों में से नियुक्त

किया जाएगा तथा उक्त अनुसूची के भाग (II) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक समिति का अध्यक्ष तत्समान लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(3) समिति के सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होगा।

270. प्रत्येक स्थायी समिति के कृत्य निम्नानुसार होंगे अर्थात्: कृत्य।

(क) संबंधित मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करना और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। प्रतिवेदन में कटौती प्रस्तावों की प्रकृति जैसे किसी प्रस्ताव का सुझाव नहीं होगा;

(ख) संबंधित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित ऐसे विधेयकों की जांच करना, जो यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपे गए हैं, और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;

(ग) मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना; और

(घ) सभाओं में प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय आधारभूत दीर्घावधिक नीति संबंधी दस्तावेजों पर, यदि सभापति अथवा अध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, समिति को सौंपे गए हों, विचार करना और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना:

परन्तु यह कि स्थायी समितियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों के दैनन्दिन प्रशासन से संबंधित मामलों पर विचार नहीं करेंगी।

कृत्यों से संबंधित उपबंधों का लागू होना।

271. नियम 270 में यथा-उपबंधित स्थायी समितियों का प्रत्येक कृत्य समितियों पर उस तारीख से लागू होगा जिसे सभापति और अध्यक्ष द्वारा किसी कृत्य विशेष के लागू होने के संबंध में अधिसूचित किया जाए।

अनुदानों की मांगों से संबंधित प्रक्रिया।

272. सभाओं में बजट पर सामान्य चर्चा समाप्त होने के पश्चात् और सभाओं के एक निर्धारित अवधि के लिए स्थागित हो जाने पर प्रत्येक स्थायी समिति द्वारा अनुदानों की मांगों पर विचार करने और उन पर अपना प्रतिवेदन सभाओं में प्रस्तुत करने के लिए निम्ननिलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा:

(क) समिति उपर्युक्त अवधि के दौरान संबंधित मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर विचार करेगी;

(ख) समिति अपना प्रतिवेदन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर तैयार करेगी; और

(ग) प्रत्येक मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में पृथक प्रतिवेदन होगा।

विधेयकों से संबंधित प्रक्रिया।

273. प्रत्येक स्थायी समिति द्वारा विधेयक की जांच करने और उस पर प्रतिवेदन तैयार करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा:

(क) समिति किसी भी सभा में पुर:स्थापित केवल ऐसे विधेयक की जांच करेगी, जिन्हें यथास्थिति, सभापति अथवा अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपा गया हो; और

(ख) समिति ऐसे विधेयकों के सामान्य सिद्धान्तों और खण्डों पर विचार करेगी और उन पर, यथास्थिति, सभापति अथवा अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपना प्रतिवदेन तैयार करेगी।

समिति का प्रतिवेदन।

274. (1) स्थायी समिति का प्रतिवेदन व्यापक सहमति पर आधारित होगा।

(2) समिति का कोई भी सदस्य समिति के प्रतिवेदन पर विसम्मति-टिप्पण अभिलिखित कर सकेगा।

(3) समिति का प्रतिवेदन विसम्मति-टिप्पण सहित, यदि कोई हो, दोनों सभाओं को प्रस्तुत किया जाएगा।

विधेयकों पर प्रवर समितियों से संबंधित नियमों का लागू होना।

275. अन्य मामलों में, राज्य सभा में विधेयकों पर प्रवर समितियों में संबंधित नियम, तीसरी अनुसूची के भाग-I (*देखिए, उपाबंध*) में विनिर्दिष्ट स्थायी समितियों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे तथा सभा में अन्य संसदीय समितियों पर लागू होने वाले सामान्य नियम, उक्त अनुसूची के भाग-II में विनिर्दिष्ट स्थायी समितियों पर लागू होंगे।

विचार न किए जाने वाले विषय।

276. कोई भी स्थायी समिति किसी अन्य संसदीय समिति के क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले विषयों पर सामान्यतया विचार नहीं करेगी।

प्रतिवेदनों का सुझावात्मक महत्व का होना।

277. स्थायी समिति का प्रतिवेदन सुझावात्मक महत्व का होगा और इसे समिति द्वारा विचारित सलाह के रूप में माना जाएगा।